



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक: 4721/अका./वि.परि./2015

रायपुर, दिनांक : 16/09/2015

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की बुधवार, दिनांक 23.09.2015 को अपराह्न 3:00 बजे
आयोजित बैठक की विषयसूची

स्थान : विज्ञान भवन के सर सी.व्ही. रमन हॉल में।

1. विद्यापरिषद् की बैठक, दिनांक 04.03.2015 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।
टीप :- कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।
2. विद्यापरिषद् की बैठक, दिनांक 04.03.2015 के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन सूचनार्थ पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।
3. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 16.04.2015, 08.05.2015, 28.05.2015, 09.06.2015, 27.06.2015, 28.07.2015 एवं 13.08.2015 के कार्यवृत्त को अनुमोदन प्रदान करना।
टीप :- कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।
4. क्षेत्रीय अध्ययन एवं अनुसंधानशाला में संचालित एम.ए. पाठ्यक्रम के शीर्षक 'रुरल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट (Rural Planning and Development)' में संशोधन के संबंध में विचार करना।

टीप :- क्षेत्रीय अध्ययन एवं अनुसंधानशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में एम.ए. पाठ्यक्रम 'Rural Planning and Development' सत्र 2013-14 से संचालित है। UGC Website के अनुसार अन्य विश्वविद्यालयों में यह पाठ्यक्रम 'Rural Development' के नाम से संचालित है (अन्य विश्वविद्यालयों की सूची संलग्न-1)। संबंधित पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु लगभग समान है। विश्वविद्यालय NAAC Mock Visit में भी उक्त पाठ्यक्रम का नाम परिवर्तित कर 'Rural Development' करने का सुझाव दिया गया है। संबंधित विषय में रोजगार विषयक जो विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं उसमें भी अनिवार्य विषय या वैकल्पिक विषय के रूप में ग्रामीण विकास (Rural Development) पाठ्यक्रम का नाम उल्लेखित हैं (विज्ञापन संलग्न-2)।

उक्त विषय के संदर्भ में क्षेत्रीय अध्ययन एवं अनुसंधानशाला में संचालित एम.ए. पाठ्यक्रम 'Rural Planning and Development' के शीर्षक को परिवर्तित कर 'Rural Development' करने हेतु माननीय विद्यापरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

5. विश्वविद्यालय के सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली में छात्रों को उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति उपलब्ध कराने पर विचार करना।

टीप :- विश्वविद्यालय के सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली वर्तमान में पुनर्गणना की सुविधा है। पुनर्गणना के उपरांत छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति प्राप्त कर सकता है। इस सुविधा को निम्नानुसार संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

छात्र परीक्षा परिणाम के पश्चात् अपनी उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति प्राप्त करेगा उसके उपरांत ही वह पुनर्गणना हेतु आवेदन कर सकता है। माननीय विद्यापरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

6. छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 49(2)(2) के तहत विश्वविद्यालय की विभिन्न अध्ययनशालाओं में अध्यापकों की नियुक्ति तथा CAS के लिये गठित की जाने वाली चयन समिति में कुलपति द्वारा नाम निर्देशित संबंधित विषय के 3 विशेषज्ञ हेतु, विद्यापरिषद् द्वारा नामों के पैनल तैयार करना।

टीप : विश्वविद्यालय अध्ययनशालाओं में शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन क्र. 1790, 2853/Estb./Gen.Adm./2015 30.05.2015 एवं 18.05.2015 की छायाप्रति संलग्न। (संलग्न छ.ग. राजपत्र दिनांक 5 मई 2011)

7. अध्यक्ष के अनुमति से अन्य प्रकरण पर विचार करना।




कुलसचिव

पृ. क्रमांक: 4722 / अका. / वि.परि. / 2015

रायपुर, दिनांक : 16 / 09 / 2015

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
2. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर
3. विद्यापरिषद् के समस्त सम्माननीय सदस्यों को।
4. अध्यक्ष, रसायन अध्ययन शाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर।
5. वित्त नियंत्रक / अंकेक्षण विभाग,
6. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


उप कुलसचिव (अका.)




पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक: 3079 / अका./ वि.परि./ 2015

रायपुर, दिनांक : 16/03/2015

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की बुधवार, दिनांक 04.03.2015 को अपरान्ह 3:00 बजे डॉ.सी.वी. रमन हॉल विज्ञान भवन में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए -

1. प्रोफेसर शिवकुमार पाण्डेय, कुलपति - अध्यक्ष
2. डॉ. रोहिणी प्रसाद - सदस्य
3. डॉ. एस.सी. नैथानी - सदस्य
4. डॉ. रश्मि मिंज - सदस्य
5. डॉ. विभूति राय - सदस्य
6. डॉ. ज्योति पाण्डेय - सदस्य
7. डॉ. जया तिवारी - सदस्य
8. डॉ. शैल शर्मा - सदस्य
9. डॉ. माया वर्मा - सदस्य
10. डॉ. प्रमोद कुमार शर्मा - सदस्य
11. डॉ. अंजना ठाकुर - सदस्य
12. डॉ. प्रियंवदा श्रीवास्तव - सदस्य
13. डॉ. दिनेश नंदिनी परिहार - सदस्य
14. डॉ. आभा रूपेन्द्र पाल - सदस्य
15. डॉ. सरला शर्मा - सदस्य
16. डॉ. आर.एन. बघेल - सदस्य
17. डॉ. कविता ठाकुर - सदस्य
18. डॉ. एस.के. पाण्डेय - सदस्य
19. डॉ. एच.के. पाठक - सदस्य
20. डॉ. संजय कुमार - सदस्य
21. डॉ. माया शेडपुरे - सदस्य
22. डॉ. ए.के. गुप्ता - सदस्य
23. डॉ. अरूण कुमार - सदस्य
24. डॉ. स्वर्णलता सराफ - सदस्य
25. डॉ. अब्दुल अलीम खान - सदस्य
26. डॉ. (श्रीमती) एम.वाणी सुब्रमनियम - सदस्य
27. डॉ. ज्योति रवि तिवारी - सदस्य
28. डॉ. ओ.पी. चन्द्राकर - सदस्य
29. डॉ. बी.के. शर्मा - सदस्य

30. डॉ. मिताश्री मित्रा	—	सदस्य
31. डॉ. ए.के. पाण्डेय	—	सदस्य
32. डॉ. सी.एल. पटेल	—	सदस्य
33. डॉ.(श्रीमती) अनुसुईया बघेल	—	सदस्य
34. डॉ. व्यास दुबे	—	सदस्य
35. डॉ. एस.के. जाधव	—	सदस्य
36. डॉ. ए.के. श्रीवास्तव	—	सदस्य
37. डॉ. संजय तिवारी	—	सदस्य
38. डॉ.(श्रीमती) रक्षा सिंह	—	सदस्य
39. डॉ.(श्रीमती) ममता शर्मा	—	सदस्य
40. डॉ. सतीश जे. केकरे	—	सदस्य
41. डॉ. राजीव तिवारी	—	सदस्य
42. डॉ. अशोक प्रधान	—	सदस्य
43. डॉ.(श्रीमती) प्रिया राव	—	सदस्य
44. श्रीमती अनुभा झा	—	सदस्य
45. श्री के.के. चन्द्राकर, कुलसचिव	—	सचिव

कार्यवृत्त :

1. विद्यापरिषद् की बैठक, दिनांक 06.02.2014 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।
निर्णय : विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 06.02.2014 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि प्रदान की गई।
2. विद्यापरिषद् की बैठक, दिनांक 06.02.2014 के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन सूचनार्थ पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।
निर्णय : विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 06.02.2014 के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की गई।
3. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 28.02.2014, 22.03.2014, 16.04.2014, 03.06.2014, 11.07.2014, 11.08.2014, 09.09.2014, 14.10.2014, 08.12.2014, 12.01.2015 एवं 09.02.2015 के कार्यवृत्त को अनुमोदन प्रदान करना।
निर्णय : विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 28.02. 2014, 22.03. 2014, 16.04.2014, 03.06. 2014, 11.07. 2014, 11.08. 2014, 09.09.2014, 14.10. 2014, 08.12. 2014, 12.01. 2015 एवं 09.02.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

4. मूल विज्ञान केन्द्र (Centre for Basic Science) के अंतर्गत पंचवर्षीय एकीकृत उपाधि पाठ्यक्रम के लिए भौतिकी, गणित, रसायन, जैविकी विज्ञान एवं कम्प्यूटर साइंस अध्ययन मण्डल की संयुक्त बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 27 जनवरी, 2015 में की गई अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय: मूल विज्ञान केन्द्र (Centre for Basic Science) के अंतर्गत पंचवर्षीय एकीकृत उपाधि पाठ्यक्रम के लिए भौतिकी, गणित, रसायन, जैविकी विज्ञान एवं कम्प्यूटर साइंस अध्ययन मण्डल की संयुक्त बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 27 जनवरी, 2015 में की गई अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।

5. संकाय के गठन के लिए विद्यापरिषद् से तीन सदस्यों के नाम नामांकित करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: संकाय के गठन के लिए विद्यापरिषद् की ओर से तीन सदस्यों के नाम नामांकित करने हेतु कुलपति को अधिकृत किया गया।

पूरक विषयसूची

01. अध्यापक शिक्षा परिषद् विनियम 2014 को अंगीकृत के संबंध में विद्यापरिषद् की स्थायी समिति एवं कार्यपरिषद् द्वारा लिये गए निर्णय की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय: अध्यापक शिक्षा परिषद् विनियम 2014 को अंगीकृत करने के संबंध में विद्यापरिषद् के स्थायी समिति एवं कार्यपरिषद् में लिए गए निर्णय की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि बी.एड., एम.एड. एवं बी.पी.एड. के लिए प्रत्येक पहलू पर विचार करते हुए द्विवर्षीय पाठ्यक्रम एवं अध्यादेश तैयार किया जावे, जिससे इस विनियम के उद्देश्यों का पालन हो सके।

02. सेंटर फॉर बेसिक साइंस के अंतर्गत एम.एस-सी. इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम के लिए पृथक अध्यादेश एवं पाठ्यक्रम के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय: सेंटर फॉर बेसिक साइंस के अंतर्गत एम.एस-सी. इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु प्रस्तावित अध्यादेश की प्रतिलिपि सभी सदस्यों को ई-मेल से भेजकर अभिमत प्राप्त कर ली जाय तथा इस हेतु प्राप्त अभिमत के आधार पर संबंधित समिति आवश्यकतानुसार सुधार कर अंतिम रूप दें।

03. विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न विषयों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में Choice Based पाठ्यक्रम को सत्र 2015-16 से सम्मिलित करने पर विचार करना।

निर्णय: विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न विषयों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए C.B.C.S. के अंतर्गत पाठ्यक्रम निर्माण के संबंध में चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि इस हेतु एक अथवा दो-दिवसीय कार्यशाला एकेडमिक स्टॉफ कॉलेज के माध्यम से आयोजित कर

आवश्यक जानकारी प्रदान किया जाय तथा इस कार्यशाला में विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रदत्त दिशा-निर्देश के अनुसार पुनः संबंधित अध्ययन मंडल के माध्यम से पाठ्यक्रम को अंतिम रूप दिया जावे।


04. विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के अंतर्गत सत्र 2015-16 के लिए संबंधित अध्ययन मण्डल एवं संकाय द्वारा अनुशंसित पाठ्यक्रम के अनुमोदन पर विचार करना।
निर्णय: विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के अंतर्गत सत्र 2015-16 के लिए संबंधित अध्ययन मंडल एवं संकाय द्वारा अनुशंसित पाठ्यक्रम का अनुमोदन किया गया।
05. विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की स्थापना बाबत्।
निर्णय: 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई-दिल्ली द्वारा हिंदी विभाग की स्थापना हेतु स्वीकृत पद, भवन निर्माण, उपकरण एवं अन्य आकस्मिक व्यय हेतु स्वीकृत राशि की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।
06. पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में मूल विज्ञान केन्द्र (Centre for Basic Science) स्थापित करने बाबत्।
निर्णय: राज्य सरकार के द्वारा मूल विज्ञान केन्द्र(Centre for Basic Science) के लिए स्वीकृत पद की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।
07. पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में स्वामी विवेकानंद चेयर स्थापित करने बाबत्।
निर्णय: पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में स्वामी विवेकानंद चेयर स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजे गए प्रस्ताव के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा की गई अनुशंसा की सूचना ग्रहण की गई।
08. पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में दीनदयाल उपाध्याय कौशल केन्द्र स्थापित करने बाबत्।
निर्णय: 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा दीनदयाल उपाध्याय कौशल केन्द्र स्थापित करने के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रेषित प्रस्ताव के अनुसार —1. Post-Graduate Diploma in Food Processing Technology, 2. Diploma in Gem Identification, Cutting & Polishing, 3. Advanced Diploma in Gem Cutting, Polishing and Jewellery Designing, 4. Degree (B.Voc.) in Gem & Jewellery Industry Professional पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।
09. पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में महिला अध्ययन केन्द्र की स्थापना करने बाबत्।
निर्णय: पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में महिला अध्ययन केन्द्र की स्थापना करने के संबंध में 12वीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा स्वीकृत पदों की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।


अध्यक्ष के अनुमति से अन्य निर्णय -

01. मैकेले विश्वविद्यालय, इथियोपिया एवं पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) के बीच एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर करने के संबंध में सूचना ग्रहण करना।

निर्णय: मैकेले विश्वविद्यालय, इथियोपिया एवं पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) के बीच पाँच वर्षों के लिए एम.ओ.यू. पर दिनांक 12.02.2015 को संयुक्त हस्ताक्षर हुए। इसमें प्रमुखतः अध्ययन एवं शोध-कार्य हेतु छात्रों एवं अध्यापकों का आदान-प्रदान तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिए दोनों विश्वविद्यालयों के मध्य करार किया गया।

पं. रविशंकरशुक्ल विश्वविद्यालय की सहभागिता में मैकेले विश्वविद्यालय में 22 - 26 दिसम्बर 2015 से अन्तर्राष्ट्रीय सेमीनार का आयोजन किया जा रहा है जिसका शीर्षक है "Safe guarding Living Cultural Heritage of the World" (विश्व की सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण) इसके अंतर्गत पारंपरिक संगीत, नृत्य, ड्रामा पारंपरिक भोजन, IPR इत्यादि पर चर्चा होगी। दोनों विश्वविद्यालयों के सहयोग से "Centre of Excellence on Indigenous Knowledge" की स्थापना मैकेले विश्वविद्यालय में की जायेगी जहां दोनों विश्वविद्यालय के छात्र एवं अध्यापक अध्ययन एवं शोध-कार्य करेंगे। इसके अंतर्गत पी. जी. डिप्लोमा इन प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड एन.जी.ओ. मैनेजमेंट, पी.जी. डिप्लोमा इन कॉरपोरेट एन्थ्रोपोलॉजी, पी.जी. डिप्लोमा इन मीडिया एन्थ्रोपोलॉजी, सर्टिफिकेट कोर्स ऑन रिसर्च मेथडोलॉजी, मास्टर प्रोग्राम इन सस्टेनबल डेवलपमेंट इत्यादि पाठ्यक्रम संयुक्त तत्वाधान में प्रारंभ किये जाएँगे। इसके अलावा "Ethio-Indo Cultural Cooperative Society" का गठन किया जायेगा, जिसके अंतर्गत लोक कलाकारों के आदान-प्रदान एवं उससे जुड़े शोध कार्यों को बढ़ावा दिया जायेगा। जिसके फलस्वरूप दोनों देशों के मध्य जीवंत संपर्क एवं सहयोग का शुभारंभ होगा। संयुक्त तत्वाधान में "Journal on Corporate Anthropology" का प्रकाशन किया जाना भी प्रस्तावित है। विश्वविद्यालय द्वारा किये गये एम.ओ.यू. की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।


कुलपति
अध्यक्ष


कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक: 3080 / अका. / वि. परि. / 2015

रायपुर, दिनांक : 16 / 03 / 2015

प्रतिलिपि :

1. माननीय कुलाधिपति के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
3. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर
4. विद्यापरिषद के समस्त सम्माननीय सदस्यों को।
5. समस्त विभागीय अधिकारी,
6. जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
7. वित्त अधिकारी/प्रभारी अंकेक्षण,
8. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


उप कुलसचिव (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्र. 3360 / अका./ वि.प.स्थायी समिति / 2015

रायपुर, दिनांक: 22 / 04 / 2015

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक गुरुवार, दिनांक 16.04.2015 अपरान्ह 4.00 बजे कुलपति कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे -

1.	प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	-	अध्यक्ष
2.	डॉ. रोहिणी प्रसाद	-	सदस्य
3.	डॉ. स्वर्णलता सराफ	-	सदस्य
4.	डॉ. भगवंत सिंह	-	सदस्य
5.	डॉ. एम.डब्ल्यू.वाय. खान	-	सदस्य
6.	डॉ. सी.डी. अगासे	-	सदस्य
7.	डॉ. ए.के. श्रीवास्तव	-	सदस्य
8.	डॉ. ओ.पी. चन्द्राकर	-	सदस्य
9.	डॉ. अब्दुल अलीम खान	-	सदस्य
10.	श्री के.के. चंद्राकर, कुलसचिव	-	सचिव

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

01. विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 09.02.2015 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 09.02.2015 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।

02. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र संख्या एवं सत्रानुसार अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है -

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
1.	स्व. राजा वीरेन्द्र बहादूर सिंह शासकीय महाविद्यालय, सरायपाली, जिला-महासमुन्द्र	सीट वृद्धि B.Sc. Computer Sc. (पूर्व सीट संख्या - 15)	05 सीट वृद्धि	2014-15	निरीक्षण तिथि :- 12.02.2015 पत्र क्र. 1999/अका./2014 दिनांक 26.11.2014 के अनुक्रम में महाविद्यालय की सीट वृद्धि के लिये सम्बद्धता निरीक्षण दिनांक 12.02.2015 को किया गया और पाया कि :- 1. महाविद्यालय में अधोसंरचना पर्याप्त है। 2. वर्तमान में स्ववित्तीय योजना के तहत दो कम्प्यूटर शिक्षक अस्थाई तौर पर कार्यरत हैं। एक और कम्प्यूटर शिक्षक की आवश्यकता है। 3. कम्प्यूटर प्रयोगशाला में 26 कम्प्यूटर हैं। छात्रों की संख्या को देखते हुए 10 और कम्प्यूटरों की आवश्यकता है।	निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।
		सीट वृद्धि PGDCA (पूर्व सीट संख्या -40)	05 सीट वृद्धि			
<p>महाविद्यालय का स्थापना वर्ष - 1971-72 शासन का आदेश पृ. क्र. 3-79/2014/38-1 दिनांक 13.08.2014 महाविद्यालय का आवेदन तिथि - 31.10.2014</p>						

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
					<p>4. लाइसेन्स साफ्टवेयर के अंतर्गत Windows XP, Vista तथा MS Office के Single User licence है। Multiple User licence की आवश्यकता है।</p> <p>5. पुस्तकालय में पाठ्यक्रम के अनुरूप 426 पुस्तकें उपलब्ध है। पाठ्यक्रम के अनुरूप और 10000 रुपये की पुस्तकों की क्रय किया जाना चाहिये।</p>	
2.	नवीन शासकीय महाविद्यालय, मैनपुर, जिला-गरियाबंद	<p>B.A. -II - Hindi, English (F.C.), Sociology, Political Sc., History</p> <p>B.Com.-II (Compulsory Subject)</p> <p>B.Sc. -II F.C., Chemistry, Maths, Physics</p>	60	2014-15	<p>निरीक्षण तिथि :- 22.02.2015</p> <p>विश्वविद्यालय के आदेश क्र. 2400/अका./2015 दिनांक 09.01.2015 के पारिपालन में नवीन शासकीय महाविद्यालय, मैनपुर में सत्र 2014-15 के लिए B.A. -II (60 seat) हिन्दी, अंग्रेजी (FC) समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास, B.Com. -II (60 seat) सभी अनिवार्य विषय B.Sc. -II (60 seat) FC रसायन शास्त्र, गणित, भौतिकी, सम्बद्धता हेतु दिनांक 22.02.2015 को निरीक्षण किया गया जिसमें निम्नानुसार तथ्य पाये गये।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. महाविद्यालय में प्रभारी प्राचार्य है। 2. महाविद्यालय का स्वयं का भवन नहीं है। महाविद्यालय शास. उ.मा.वि. के 10 कमरों में संचालित है, जिसमें 08 कमरों में अध्यापन एवं 01 कमरा में Lab तथा 01 कमरा में प्राचार्य व कार्यालय है। 3. शासन द्वारा 11 (प्राचार्य एवं शिक्षकों) तथा 05 गैर शैक्षणिक पद स्वीकृत है। 10 शिक्षकों में 03 नियमित तथा 07 अतिथि व्याख्याता है। 05 गैर शैक्षिक में 03 पद में कार्यरत हैं। 4. प्राचार्य के संलग्न पत्र द्वारा ग्रंथागार में सभी विषयों के 692 पुस्तकें हैं। सभी कक्षा एवं विषय के छात्र अनुपात में पुस्तकें क्रय किये जाने की आवश्यकता है। 	निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।
<p>महाविद्यालय का स्थापना वर्ष - 2013-14 शासन का आदेश पृ. क्र. 92/आउशि/योजना/2013 दिनांक 20.05.2013 महाविद्यालय का आवेदन तिथि - 06.12.2014</p>						

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
					5. विज्ञान विषय के प्रायोगिक कार्य के लिए Lab तथा उपकरण है इसे छात्र एवं कक्षा के अनुपात में मंगाये जाने की आवश्यकता है।	
					6. अधोसंरचना में स्कूल का फर्नीचर उपलब्ध है। महाविद्यालय में 02 Computer तथा 01 फोटोकॉपी मशीन है।	

03. श्री रावतपुरा सरकार संस्थान द्वारा संचालित महाविद्यालयों में परिनियम 28 के तहत नियुक्ति हेतु प्रेषित पत्र के संबंध में विचार करना।

निर्णय : परिनियम 28 के तहत नियुक्त सहायक प्राध्यापकों के कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् प्रस्तुत किया जावे।

04. शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महासमुंद में एम.एस.सी. वनस्पति शास्त्र परीक्षा सत्र 2015-16 के लिए 15 सीट के स्थान पर 2 अतिरिक्त सीट के प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय : शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महासमुंद में एम.एस.सी. वनस्पति शास्त्र परीक्षा सत्र 2015-16 के लिए 15 सीट के स्थान पर 2 अतिरिक्त सीट में प्रवेश देने के प्रकरण पर विचार कर निर्णय लिया गया कि महाविद्यालय शासन की अनुमति के साथ आवेदन करें।

05. एन.सी.टी.ई. विनियम 2014 को अंगीकृत किये जाने के कारण बी.एड., एम.एड. एवं बी.पी.एड. अध्यादेश में संशोधन के अनुमोदन हेतु समन्वय समिति को प्रस्तुत किये जाने की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : एन.सी.टी.ई. के रेगुलेशन के आधार पर द्विवर्षीय बी.एड., एम.एड. एवं बी.पी.एड. (सेमेस्टर पद्धति) पाठ्यक्रम के लिए निर्मित संशोधित अध्यादेश स्वीकृति हेतु समन्वय समिति भेजने की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।

06. विधि अध्यादेश में संशोधन के अनुमोदन हेतु समन्वय समिति को प्रस्तुत किये जाने की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : विधि अध्यादेश में संशोधन की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।

07. एम.बी.ए. पाठ्यक्रम के अध्यादेश क्रमांक 88 के संशोधन के संबंध में विचार करना।

निर्णय : एम.बी.ए. पाठ्यक्रम से संबंधित अध्यादेश क्रमांक 88 में प्रस्तावित अध्यादेश संशोधन का अनुमोदन किया गया।

08. श्री साईं कालेज, प्लॉट नंबर-286/1,286/2, 291 देउरझाल, नंदनी, दुर्ग (छ.ग.)-490096 को सत्र 2015-16 से बी.एड् एक यूनिट-50 सीट के लिए अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : एन.सी.टी.ई के रेगुलेशन के अनुसार पुनः निरीक्षण किया जावे।

09. इंडियन कालेज ऑफ एजुकेशन, स्टेशन रोड महासमुंद को एन.सी.टी.ई. भोपाल द्वारा जारी Order for shifting of premises का पत्र क्र. WRC/QPW04626/723112 (shifting for premises)/215th/2015/131872 Date 24/26-02-2015 पर विचार करना।

निर्णय : एन.सी.टी.ई के रेगुलेशन के अनुसार पुनः निरीक्षण किया जावे।

10. शासकीय दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर में Community College प्रोग्राम के अंतर्गत Diploma in Hospitality Management प्रारंभ करने की अनुमति पर विचार करना।

निर्णय : शासकीय दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर में Community College प्रोग्राम के अंतर्गत Diploma in Hospitality Management सत्र 2015-16 से प्रारंभ करने की अनुशंसा की गई।

11. सेठ सुगनचंद सुराना महाविद्यालय, दुर्ग में संचालित बी.एड्. पाठ्यक्रम बंद करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : महाविद्यालय द्वारा समस्त देनदारियों की जिम्मेदारी लेने के शर्त पर बी.एड्. पाठ्यक्रम बंद करने की अनुशंसा की गई।

12. एलायंस इंस्टीट्यूट ऑफ कामर्स एंड मैनेजमेंट, भिलाई में बी.सी.ए. एवं बी.बी.ए. पाठ्यक्रम की संचालन बंद करने के संबंध में सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : महाविद्यालय द्वारा समस्त देनदारियों की जिम्मेदारी लेने के शर्त पर बी.सी.ए. एवं बी.बी.ए. पाठ्यक्रम बंद करने की अनुशंसा की गई।

13. महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल महाविद्यालय, रायपुर को शासन द्वारा 2011-12 से 2014-15 के मध्य स्वीकृत की गई सीट वृद्धि पर विचार करना।

निर्णय : आगामी एक वर्ष के भीतर भौतिक शास्त्र विषय में नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करने के आधार पर शासन द्वारा पूर्व में 2011-12 से 2014-15 के मध्य स्वीकृत निम्नानुसार सीट वृद्धि के लिए अनुशंसा की जाती है -

कक्षा	पूर्व में अनुमोदित सीट संख्या	सीट वृद्धि	कुल सीट
बी.काम. अनिवार्य विषय	60	60	120
बी.काम. कम्प्यूटर एप्लिकेशन	60	30	90
पी.जी.डी.सी.ए.	60	30	90

14. एन.सी.टी.ई. रेगुलेशन के कंडिका 3 के अनुसार अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी हेतु संबंधित संस्थान/महाविद्यालय का निरीक्षण कराये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : एन.सी.टी.ई. के आदेशानुसार किसी भी शिक्षा महाविद्यालय/संस्था के द्वारा पाठ्यक्रम नया विषय/सीट वृद्धि/पाठ्यक्रम बंद करने के लिये विश्वविद्यालय के निरीक्षण के उपरांत अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की अनुशंसा की जाएगी, इस अनापत्ति प्रमाण पत्र के निरीक्षण हेतु संबंधित संस्थान/महाविद्यालय को प्रोसेसिंग फीस के रूप में रु. 10,000/- (दस हजार रुपए मात्र) विश्वविद्यालय कोष में जमा करना होगा। यह शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा।

15. (A) राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, छत्तीसगढ़, शंकर नगर, रायपुर के पत्र क्रमांक/एम.एड./मान्यता/2012/5746 रायपुर, दिनांक 11.12.2012 के अनुसार 31 जनवरी 2013 तक सभी एम.एड. महाविद्यालय को NAAC प्रत्यायन की अनिवार्यता की जानकारी।
(B) विश्वविद्यालय से सम्बद्ध बी.एड. संचालित महाविद्यालयों में परिनियम 28 के अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों की जानकारी हेतु।

निर्णय : प्रस्तुत सूची में (A) एवं (B) के अंतर्गत वर्गीकृत महाविद्यालयों में वर्तमान व्यवस्था एवं एन.सी.टी.ई. के मापदण्ड पूरा करने के संबंध में एन.सी.टी.ई., एस.सी.ई.आर.टी. एवं महाविद्यालय को सूचना दी जावे।

16. शोध प्रबंध जमा करते समय शोध पत्र का प्रकाशन मान्य किये जाने मापदण्ड विषयक।

निर्णय : निर्णय लिया गया कि अधिसूचना क्रमांक 2785/अका./शो.घ/2015 दिनांक 16.02.2015 के बिंदु क्र. 5 पर "अन्य विश्वविद्यालय द्वारा मान्य शोध पत्रिकाओं की सूची, जिसे इस विश्वविद्यालय में स्तरीय शोध पत्र की सूची में शामिल किया जाना हो," सूची अध्यक्ष अध्ययन मण्डल से प्राप्त कर संकायाध्यक्ष को अंतिम रूप से प्रस्तुत किया जावे। संकायाध्यक्ष द्वारा अनुशंसित सूची के अनुसार आगामी कार्यवाही किया जावे।

17. सत्र 2014-15 की वार्षिक संबद्धता आदेश प्रदान करने हेतु महाविद्यालयों की सूची :-

1	अग्रसेन महाविद्यालय, धनोरा, जिला-दुर्ग
2	अलशम्स इंफोटेक कालेज, नगरी (सिहावा), जिला-धमतरी
3	नवीन शासकीय महाविद्यालय, सालहेवारा, जिला-राजनांदगांव
4	श्री रावतपुरा सरकार संस्थान हॉलीडे रिसॉर्ट के पीछे, कुम्हारी, जिला-दुर्ग
5	श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, कुम्हारी, जिला-दुर्ग (2013-14 एवं 2014-15)
6	श्री रावतपुरा सरकार कालेज आफ एजुकेशन, ग्राम-धनेली, पो.-माना, रायपुर
7	श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, पचेड़ा, अभनपुर, जिला-रायपुर (2013-14 एवं 2014-15)


निर्णय : पुनः परीक्षण किया जावे।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय:-

अधिसूचना क्रमांक 2785/अका./शोध/2015 दिनांक 16.02.2015 के पूर्व जमा की गई शोध प्रबंध के संदर्भ में DRC से अनुशंसित प्रमाण पत्र के आधार पर प्रकाशित शोध-पत्र को मान्य करते हुए शोध-प्रबंध के मूल्यांकन की कार्यवाही की जाए।

पुराना अध्यादेश 45 पर यह लागू नहीं रहेगा।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यवाही सम्पन्न हुई।


कुलपति
अध्यक्ष


कुलसचिव
सचिव

पृ. क्र. 3361 /अका./वि.प.स्थायी समिति/2015
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक: 22/04/2015

1. समस्त संकायाध्यक्षों को,
2. उ.कु.स. गोपनीय/परीक्षा,
3. वित्त नियंत्रक/अंकेक्षण,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित।


उप कुलसचिव (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्र. 3512 / अका./ वि.प.स्थायी समिति / 2015

रायपुर, दिनांक: 11 / 05 / 2015

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की आवश्यक बैठक शुक्रवार, दिनांक 08.05.2015 अपराह्न 4.30 बजे कुलपति कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे -

1.	प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	-	अध्यक्ष
2.	डॉ. रोहिणी प्रसाद	-	सदस्य
3.	डॉ. स्वर्णलता सराफ	-	सदस्य
4.	डॉ. एम.डब्ल्यू.वाय. खान	-	सदस्य
5.	डॉ. सी.डी. अगासे	-	सदस्य
6.	डॉ. ए.के. श्रीवास्तव	-	सदस्य
7.	डॉ. एस.सी. नैथानी	-	सदस्य
8.	डॉ. अब्दुल अलीम खान	-	सदस्य
9.	श्री के.के. चंद्राकर, कुलसचिव	-	सचिव
10.	डॉ. ए.के. पति	-	विशेष आमंत्रित सदस्य

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-


01. विश्वविद्यालय रेगुलेशन क्र. 134 में संशोधन के संबंध में विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के **API Score Calculator** में रेगुलेशन 2009 के स्थान पर भारत शासन के राजपत्र दिनांक 13 जून 2013 में प्रकाशित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, रेगुलेशन 2013 को अंगीकृत किये जाने की अनुशंसा की गई।

02. रेगुलेशन 149-I एम.एस-सी. कम्प्यूटर साइंस के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : रेगुलेशन 149-I एम.एस-सी. कम्प्यूटर साइंस (Inclusion of Grade and credit points (CGPA) in marksheet of the students of PG courses under the Ordinance 149-I) का अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यवाही सम्पन्न हुई।


कुलपति
अध्यक्ष


कुलसचिव
सचिव

पृ. क्र. 3513 / अका./ वि.प.स्थायी समिति / 2015

रायपुर, दिनांक: 11 / 05 / 2015

प्रतिलिपि :-

1. समस्त संकायाध्यक्षों को,
2. उ.कु.स. गोपनीय/परीक्षा,
3. वित्त नियंत्रक/अंकेक्षण,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु अग्रेषित।


उप कुलसचिव (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्र. 3671 / अका. / वि.प.स्थायी समिति / 2015

रायपुर, दिनांक 28/05/2015

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की आवश्यक बैठक गुरुवार, दिनांक 28.05.2015 पूर्वान्ह 12.00 बजे कुलपति कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे --

1.	प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	-	अध्यक्ष
2.	डॉ. रोहिणी प्रसाद	-	सदस्य
3.	डॉ. स्वर्णलता सराफ	-	सदस्य
4.	डॉ. सी.डी. अगासे	-	सदस्य
5.	डॉ. ए.के. श्रीवास्तव	-	सदस्य
6.	डॉ. एस.सी. नैथानी	-	सदस्य
7.	डॉ. अब्दुल अलीम खान	-	सदस्य
8.	श्री के.के. चंद्राकर, कुलसचिव	-	सचिव

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

- विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 16.04.2015 एवं 08.05.2015 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।
निर्णय : विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 16.04.2015 एवं 08.05.2015 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।
- एन.सी.टी.ई. रेगुलेशन 2014 के अंतर्गत बी.एड. पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने के संबंध में विचार करना।
निर्णय : एन.सी.टी.ई. रेगुलेशन 2014 के अनुसार बी.एड. पाठ्यक्रम 2016-17 से प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में निर्णय निम्नानुसार है :-

बी.एड.

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
1.	रामचण्डी महाविद्यालय सरायपाली बगाईजोर, सरायपाली, जिला-महासमुंद	बी.एड.	निरीक्षण तिथि :- 23.05.2015 रामचण्डी महाविद्यालय सरायपाली का निरीक्षण किया गया। NCTE Regulation 2014 के संलग्न परिशिष्ट 4 के अर्हताओं को (बी.एड. की कक्षाओं को प्रारंभ करने को) पूर्ण करता है। सत्र 2016-17 के लिये सम्बद्ध प्रपत्र संलग्न है। N.O.C. देने में कोई आपत्ति नहीं है। N.O.C. दिये जाने की अनुशंसा की जाती है।	सत्र 2016-17 से बी.एड. पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की अनुशंसा की गई।
2.	रामदर्शन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, पिथौरा (श्रम सृजन समाजसेवी संस्था)	बी.एड.	निरीक्षण तिथि :- 23.05.2015 रामदर्शन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, पिथौरा का निरीक्षण किया गया। NCTE Regulation 2014 के संलग्न परिशिष्ट 4 की अर्हताओं को (बी.एड. हेतु 2016-17 से प्रारंभ करने हेतु) पूर्ण करता है। N.O.C. दिये जाने की अनुशंसा की जाती है।	सत्र 2016-17 से बी.एड. पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की अनुशंसा की गई।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/ विषय	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
3.	विद्यापीठ कालेज, दुर्ग (दाऊ परमानंद अग्रवाल मेमोरियल) लक्ष्मीनारायण महाराज ट्रस्ट किला मंदिर दुर्ग	बी.एड.	<u>निरीक्षण तिथि :- 25.05.2015</u> The committee Constituted of the following member for the inspection of "Vidyapeeth" College (Dau Parmanand Agrawal Memorial), Durg for the approval of NOC for the B.Ed. Course scheduled for the academic session 2016-17, Visited the college on 25-5-15. The members inspected the College and found all the infrastructure as per the norms and standard laid down by NCTE Regulation 2014, Clause 4, adequate and satisfactory. Hence, the committee members unanimously recommend the NOC for B.Ed. course in "Vidyapeeth" College, Durg.	सत्र 2016-17 से बी.एड. पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की अनुशंसा की गई।
4.	छत्तीसगढ़ कालेज ऑफ एजुकेशन, पी.एच. नं.-28, ग्राम-धनोरा, पो.-हनोद, दुर्ग (दुर्ग एजुकेशन एंड चैरिटेबल सोसायटी)	बी.एड.	<u>निरीक्षण तिथि :- 25.05.2015</u> The committee Constituted of the following member for the inspection of Chhattisgarh College of Education, Durg for the approval of NOC for the B.Ed. Course scheduled for the academic session 2016-17, Visited the college on 25-5-15. The members inspected the College and found all the necessary infrastructure as per the NCTE Regulation 2014, Clause 4, Norms and standard adequate and satisfactory. Hence, the committee members unanimously recommend the NOC for B.Ed. course in Chhattisgarh College of Education, Durg.	सत्र 2016-17 से बी.एड. पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की अनुशंसा की गई।
5.	सैंचुरी सीमेंट महाविद्यालय, बैकुंठ, जिला-रायपुर	बी.एड.	<u>निरीक्षण तिथि :- 25.05.2015</u> Century Cement College in run by century Cement Company. It is located in the township of the Company. At present the College conducts PGDCA, BCA, B.Com., M.Com Now, the College has applied to conduct B.Ed. course for which the NOC is sought by the college. The visiting team constituted by Pt. Ravishankar Shukla University has visited and inspected the College on points of Annexure 4. The college wish to	सत्र 2016-17 से बी.एड. पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की अनुशंसा की गई।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
			<p>conduct the B.Ed. Course in the same building in which the other course are running. The preliminary observation of the team is that the college has sufficient rooms to conduct the program. For other infrastructure and amenities, the Secretary of the society has given a declaration of assurance to fulfill the norms of standards of NCTE Regulations 2014.</p> <p>Based on the declaration, the committee suggest to permit the college to run B.Ed. course of one unit. Hence, NOC may be issued.</p>	
6.	ए.व्ही.एस. प्रेसीडेन्सी इन्टरनेशनल कालेज, माना, रायपुर	बी.एड.	<p>निरीक्षण तिथि :- 25.05.2015 महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया। बी.एड. हेतु भवन का निर्माण नहीं हुआ है। मात्र जमीन है। जिसमें भवन मार्च 2016 तक निर्माण किये जाने की बात शपथ पत्र में की गयी है। भवन ना होने के कारण समिति यह स्पष्ट अनुशंसा करती है कि बी.एड. हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) नहीं दिया जा सकता। क्योंकि NCTE Regulation 2014 के परिशिष्ट 4 की शर्तों को पूर्ण नहीं करता।</p>	31 मार्च, 2016 तक भवन निर्माण पूर्ण करने के लिए दिए गए शपथ पत्र के आधार पर सत्र 2016-17 से बी.एड. पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने हेतु सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की अनुशंसा की गई।

03. निम्नलिखित 3 महाविद्यालयों द्वारा बी.एड. के लिए अनापत्ति जारी किये जाने हेतु निरीक्षण संबंधि कार्यवाही नहीं की है -

1. मंगल दुबे मेमोरियल समिति डुंगाजी कालोनी, रायपुर (दि रेडियंट वे कालेज, रायपुर)
2. श्री जैन मण्डल बालोद (महावीर महाविद्यालय डौली रोड, बालोद)
3. श्री अभिनव शैक्षणिकोत्तर सामाजिक उत्थान समिति रायपुर

निर्णय : मंगल दुबे मेमोरियल समिति डुंगाजी कालोनी, रायपुर (दि रेडियंट वे कालेज, रायपुर) एवं श्री अभिनव शैक्षणिकोत्तर सामाजिक उत्थान समिति रायपुर महाविद्यालय द्वारा दिनांक 29 मई, 2015 तक निरीक्षण कराकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं तो उन्हें प्रतिवेदन के आधार अनापत्ति प्रमाण-पत्र दी जा सकती है।

श्री जैन मण्डल बालोद (महावीर महाविद्यालय डौली रोड, बालोद) का निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ एवं अध्यक्ष के अनुमति से समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

04. एन.सी.टी.ई. रेगुलेशन 2014 के अंतर्गत एम.एड. पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : एन.सी.टी.ई. रेगुलेशन 2014 के अनुसार एम.एड. पाठ्यक्रम 2016-17 से प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में निर्णय निम्नानुसार है :-

एम.एड.

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
1.	एम.जे. कालेज, कोहका-जुनवानी रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग	एम.एड.	<p>निरीक्षण तिथि :- 19.05.2015</p> <p>With reference to university letter no. 3536/Acad/2015 dated 12-05-2015 the committee inspected the M.J. College on 19-05-2015 and observed the followings:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. That the B.Ed. Course in the MJ College is continuing since 2006 and it has completed around nine years. 2. That B.Ed. course in this college is functioning in TWO units. List of teachers attached. 3. That College is accredited by NACC in B Grade (2.32) by 7th meeting of standing Committee held on 11th May 2015. (Copy Attached) 4. That B.Ed. Course in MJ College is affiliated to Pt. Ravishankar Shankar Shukla University since its inspection and at present it fulfils the necessary conditions. (For which principal has submitted an affidavit) 5. That the MJ College fulfils the necessary infrastructure facilities, civic amenities, Labs, Resource centre etc to start M.Ed Programme. However the following deficiencies have yet to be removed: <ol style="list-style-type: none"> i. Books and journals as specified by NCTE for M.Ed programme has to be completed. Even though the principal informed that an order to purchase these books and journals has already been placed. ii. Arrangement of separate cabins for teachers is yet to be made. The principal informed and attached an undertaking that a big hall will be converted into cabins very soon. <p>In view of the above observations the committee is of the opinion that NOC for the M.Ed. course may be given subject to further Inspection before the affiliation of M.Ed. Programme.</p>	सत्र 2016-17 से एम.एड. पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की अनुशंसा की गई।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
2.	जी.डी. रूंगटा कालेज ऑफ साइंस एंड टेक्नालॉजी, भिलाई, जिला-दुर्ग	एम.एड.	<p><u>निरीक्षण तिथि :- 26.05.2015</u> G.D. Rungta College is located in Kohka, Durg. The Visiting team constituted by Pt. Ravishankar Shukla University has visited the College and inspected the college for issue of NOC to conduct M.Ed. Program as per the new regulations of NCTE, 2014. The College has sufficient infrastructure to conduct M.Ed. Course. The Library has at present 5000 books and further subscribed another 1500 books exclusively for M.Ed. subscription bills for National and 3 international journals were enclosed.</p> <p>The College is presently running B.Ed. program which has separate classrooms, a multipurpose hall and other required infrastructure. The multipurpose hall will be shared for both the B.Ed. and M.Ed. Programs. The College has applied for NAAC accreditation and the process is on. Hence there is no grade to mention till date.</p> <p>NOC may be issued by the University with a condition that the institute get a grade by NAAC before university gives affiliation to start M.Ed. course.</p>	सत्र 2016-17 से एम.एड. पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की अनुशंसा की गई।
3.	भिलाई महिला महाविद्यालय, भिलाई	एम.एड.	<p><u>निरीक्षण तिथि :- 24.05.2015</u> The committee visited Bhilai Mahavidyalaya on 24.05.2015 and inspected the college for M.Ed. course the College is running B.Ed. Course since 2009-10 session successfully.</p> <p>Facilities for proposed M.Ed. course are as per affidavit (enclosed). The College has sufficient infrastructure to conduct M.Ed. programme, provided college fulfils verdict mentioned in their affidavit. Committee recommends for the issue of NOC for M.Ed. course.</p>	सत्र 2016-17 से एम.एड. पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की अनुशंसा की गई।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
4.	प्रेसियस कालेज आफ एजुकेशन, अभनपुर, जिला-रायपुर	एम.एड्.	<p>निरीक्षण तिथि :- 26.05.2015</p> <p>The Inspection committee comprised of Prof. R.P. Das, Prof. Bhagwant Singh & Prof. (Mrs.) M. Vani Subramaniam visited & Inspected the College at 11.30 a.m. on 25/5/2015. The committee observed that the college is running B.Ed. Course successfully. College is having regular faculties for B.Ed. Course. College is NAAC accredited. Fixed deposit of required amount is available in the college. Sufficient infrastructure is available. College has assured to develop other thing mentioned in the affidavit. Hence, committee recommends that the University may issue N.O.C. to start M.Ed. course w.e.f. 2016-17.</p>	सत्र 2016-17 से एम.एड्. पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की अनुशंसा की गई।
5.	विप्र कला, वाणिज्य एवं शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, आमापारा, रायपुर	एम.एड्.	<p>निरीक्षण तिथि :- 25.05.2015</p> <p>The committee inspected the Vipra College in 25-05-2015 for M.Ed. course. The college is running B.Ed. course since 2007 satisfactorily. The Facilities for proposed M.Ed. are partially available. Based on affidavit given by college Principal, committee recommends for the issue of NOC for M.Ed. course.</p>	सत्र 2016-17 से एम.एड्. पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की अनुशंसा की गई।
6.	कांति दर्शन शैक्षणिक एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण संस्थान, कोसा नगर, भिलाई	एम.एड्.	<p>निरीक्षण तिथि :- 26.05.2015</p> <p>The committee consists of Prof. R.P. Das, Prof. Bhagwant Singh and Dr. M.Vani Subramaniam visited the college for issuing NOC to start M.Ed. Programme as per the New regulations of NCTE 2014. The college is running B.Ed. course, it is accredited by NAAC & has obtain B Grade. The college has construction area-5777 Square Mtr. Number of rooms required for Class Rooms for B.Ed and M.Ed. are existing as per NCTE norms FD worth Rs. 12 lacks are made by the college. However,</p>	सत्र 2016-17 से एम.एड्. पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की अनुशंसा की गई।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
			<p>There is no librarian appointed under college code 28.</p> <p>International Journals don't exist in Library.</p> <p>Journal purchased invoices were not shown.</p> <p>Invoices shown for purchase of books were not in the name of Kanti Darshan College.</p> <p>OHP & PA system were not installed in the seminar Hall but kept in store room.</p> <p>Hence the committee recommends - NOC may be issued to the college subject to fulfillment of above deficiencies.</p>	

05. कांफ्लूएस कालेज आफ हायर एजुकेशन, राजनांदगांव द्वारा नैक एक्कीडिशन के लिए आवेदन नहीं दिये जाने के कारण एम.एड्. पाठ्यक्रम हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में निरीक्षण करवाने में असमर्थता जाहिर की।

निर्णय : कांफ्लूएस कालेज आफ हायर एजुकेशन, राजनांदगांव द्वारा नैक एक्कीडिशन के लिए आवेदन नहीं दिये जाने के कारण एम.एड्. पाठ्यक्रम हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए निरीक्षण निरस्त करने की सूचना ग्रहण की गई।

06. इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम (बीए-बी.एड्., बी.एस.सी.-बी.एड्.) प्रारंभ करने हेतु निम्नलिखित महाविद्यालयों के आवेदन के संबंध में विचार करना।

1. ग्रेसियस कालेज, बेलभाटा, अभनपुर, रायपुर
2. शैल देवी महाविद्यालय, अण्डा, दुर्ग
3. सांदिपनी महाविद्यालय, ग्राम-अछोटी, जिला-दुर्ग

निर्णय : एन.सी.टी.ई. रेगुलेशन 2014 के अनुसार 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम (बीए-बी.एड्., बी.एस.सी.-बी.एड्.) के संबंध में प्राप्त आवेदन पर विचार विमर्श के पश्चात् सभी संकायाध्यक्षों का अभिमत है कि प्रस्तावित इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम में बी.एड्. के साथ बी.ए. एवं बी.एस-सी. का भी अध्यापन होगा, अतः उच्च शिक्षा विभाग की अनुमति आवश्यक है। संबंधित संस्थाओं को उच्च शिक्षा विभाग से NOC प्राप्त करने हेतु सूचित किया जावे।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

01. श्री जैन मण्डल बालोद (महावीर महाविद्यालय डौली रोड, बालोद) एन.सी.टी.ई. रेगुलेशन 2014 के अनुसार बी.एड. पाठ्यक्रम 2016-17 से प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/ विषय	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
1.	श्री जैन मण्डल बालोद (महावीर महाविद्यालय डौली रोड, बालोद) निरीक्षण समिति - 1. प्रो. बशीर हसन, संचालक, अध्यापक शिक्षा संस्थान 2. प्रो. एस.सी. नैथानी, बायोसाइंस अ.शा. 3. डॉ. (श्रीमती) एम. वाणी सुब्रमण्यम, प्राचार्य, भिलाई मैत्री महावि. भिलाई	बी.एड.	<u>निरीक्षण तिथि :- 28.05.2015</u> The following members of the committee Constituted for the inspection of Mahavir Mahavidyalaya, Balod (Shri Jain Mandal Balod Association) in reference to B.Ed. Course, Visited the college on 28-5-15. The committee members found as per the norms and standard laid down by NCTE Regulation 2014, Clause 4, for B.Ed. degree in under construction and will be completed as per the affidavit submitted by December 2015. Hence, the committee recommend unanimously the NOC for B.Ed. course in the Mahavir Mahavidyalaya, Balod.	सत्र 2016-17 से बी.एड. पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की अनुशंसा की गई।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यवाही सम्पन्न हुई।


कुलपति
अध्यक्ष


कुलसचिव
सचिव

पृ. क्र. 3672/अका./वि.प.स्थायी समिति/2015
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक: 28/05/2015

1. समस्त संकायाध्यक्षों को,
2. उ.कु.स. गोपनीय/परीक्षा,
3. वित्त नियंत्रक/अंकेक्षण,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित।


उप कुलसचिव (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्र. 3788 / अका. / वि.प.स्थायी समिति / 2015

रायपुर, दिनांक: 10 / 06 / 2015

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक मंगलवार, दिनांक 09.06.2015 पूर्वाह्न 12.00 बजे कुलपति कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे –

1.	प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	—	अध्यक्ष
2.	डॉ. रोहिणी प्रसाद	—	सदस्य
3.	डॉ. भगवंत सिंह	—	सदस्य
4.	डॉ. एम.डब्ल्यू.वाय. खान	—	सदस्य
5.	डॉ. सी.डी. अगासे	—	सदस्य
6.	डॉ. ए.के. श्रीवास्तव	—	सदस्य
7.	डॉ. एस.सी. नैथानी	—	सदस्य
8.	डॉ. रश्मि मिंज	—	सदस्य
9.	श्री के.के. चंद्राकर, कुलसचिव	—	सचिव

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

01. विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 28.05.2015 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।
- निर्णय : विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 28.05.2015 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।
02. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र संख्या एवं सत्रानुसार अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है –

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
1.	शास. डॉ. वामन वासुदेव पाटणकर कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग	बी.काम प्रथम वर्ष सीट वृद्धि	289 (पूर्व सीट सं-189, वृद्धि-100)	2014-15	निरीक्षण तिथि :- 25.04.2015 Adequate facilities are available to run the program. Since already Government has approved and adequate facilities are available, we recommend the enhancement of seats.	निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।
	एम.काम पूर्व - सीट वृद्धि	50 (पूर्व सीट सं.-45, वृद्धि-5)				
	बी.एस.सी. प्रथम वर्ष सीट वृद्धि	220 (पूर्व सीट सं.-192, वृद्धि-28)				
	बी.ए. प्रथम वर्ष सीट वृद्धि	300 (पूर्व सीट सं.-228, वृद्धि-72)				

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
		नवीन विषय एम.एस-सी. पूर्व वनस्पति शास्त्र	15	2015-16	All the facility for running M.Sc. Previous Botany with 15 Seats are satisfactory and adequate as per the following details : Highly satisfactory and strongly recommended. 1. Laboratory facility adequate. 2. The concerned books and their multiple numbers are satisfactory. 3. Adequate faculty i.e. one Professor and two Assistant Professor. 4. Adequate instruments.	
		महाविद्यालय का स्थापना वर्ष - 1981-82				
2.	आदर्श महाविद्यालय दतरेंगा, रायपुर	बी.काम.-I पी.जी.डी. सी.ए. डी.सी.ए.	60 40 40	2015-16	निरीक्षण तिथि :- 02.05.2015 With ref. to letter No. 3262/Acad/2015 Raipur dated 07-04-2015 the committee visited & inspected the Adarsh Mahavidyalaya for BCom (60 Seats), PGDCA (40 seats), DCA (40 seats). The College is proposed to start in the Adarsh Nursing College Building at 1st Floor, initially. Infrastructure is sufficient. Library is common for all courses. For books of proposed courses, orders have been placed. No. of Computers is sufficient, Licensed software have to be purchased. Teachers & Principal as per the University Norms need to be appointed.	निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई। संबंधित महाविद्यालय समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे। परिनियम 28 के तहत आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति 3 माह के अंदर पूर्ण करें।
	नवीन अशासकीय महाविद्यालय की स्थापना हेतु शासन का आदेश -- एफ 17-02/2015/38-2 दिनांक 31.01.2015					

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
3.	प्रतिभा फूलझर कॉलेज, ग्राम-बालसी, तह. -सरायपाली, जि.-महासमुंद	बी.काम.-I बी.काम. -I कम्प्यूटर	60 30	2015-16	निरीक्षण तिथि :- 14.05.2015 बी.काम. भाग-1 (60 सीट), तथा बी.काम. कम्प्यूटर (30 सीट) हेतु कमरों की संख्या पर्याप्त है। तथा 15 कम्प्यूटर भी थे। शिक्षक नहीं है। प्राचार्य भी नहीं है। पुस्तकालय में संबंधित विषयों की पुस्तकें नहीं है। एतदर्थ शिक्षक, प्राचार्य तथा पुस्तकें पर्याप्त क्रय करने एवं नियुक्त करने की शर्त पर मान्य किया जा सकता है।	निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई। संबंधित महाविद्यालय समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे। परिनियम 28 के तहत आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति 3 माह के अंदर पूर्ण करें।
नवीन अशासकीय महाविद्यालय की स्थापना हेतु शासन का आदेश पृ. क्र. 17-22/2015/38-2 दिनांक 31.01.2015						
04	सी.आई.टी. कालेज, पार्रीनाला, जी. ई. रोड, राजनांदगांव	बी.बी.ए.-I बी.एस-सी.-I बी.काम.-I	20 40 40	2015-16	निरीक्षण तिथि :- 26.05.2015 With reference to the University letter No. 3581/Acad./2015 Dt. 20th May-2015 the committee conducted the inspection of CIT College, Rajnandgaon on 26th May 2015 and observed the following :- 1. That the said College has sufficient infrastructure facilities to run B.B.A. (20 seats), B.Sc. (40 seats), B.Com (40 seats). 2. In the Library and Laboratory (Books nad Equipments) facilities are partially fulfilled. 3. The appointment of Principal and Teachers U/s. 28 has to be made. 4. The secretary of the society has given a declaration to fulfill all the shortcoming just after getting the affiliation.	निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई। संबंधित महाविद्यालय समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे। परिनियम 28 के तहत आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति 3 माह के अंदर पूर्ण करें।
नवीन अशासकीय महाविद्यालय की स्थापना हेतु शासन का आदेश पृ. क्र. - 17-19/2015/38-2 दिनांक 31.01.2015						

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
05	पं. हरिशंकर शुक्ल स्मृति महाविद्यालय, (कचना) शंकर नगर, रायपुर	बी.एस.सी. (बायो) प्रथम वर्ष रसायन, वनस्पति शास्त्र, जीव विज्ञान	40	2015-16	<p>निरीक्षण तिथि :- 05.06.2015</p> <p>The committee visited Pt. Harishankar Shukla Smriti College, Raipur on June 4, 2015 and observed following:</p> <ol style="list-style-type: none"> The College has applied for B.Sc.- Bio-First year (40 Seats), B.Sc. Maths-I year (40 seats) and DCA (20 Seats). The total land area of the College is 30126 Sq.ft. with total 25 rooms. The college has well furnished class room, seminar hall and auditorium. The number of Books for each subject (B.Sc.- Bio, Maths & DCA) are under process of purchase (PO attached). The committee has recommended some standard and new edition that are required. Presently the college has well equipped computer laboratory still 10 more computers are required. The college has partly unfurnished laboratories. The process of purchase of various laboratory equipments is under process as indicated by the attached P.O. Teacher for B.Sc. Bio, Maths and DCA are presently not recruited but as per the letter addressed to Deputy Registrar (No. 893/HSS Dated 7-3-15) the process is for the appointment in 	<p>निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई।</p> <p>संबंधित महाविद्यालय समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।</p> <p>परिनियम 28 के तहत आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति 3 माह के अंदर पूर्ण करें।</p>
		बी.एस.सी. (गणित) प्रथम वर्ष रसायन, भौतिकी, गणित	40			
		डी.सी.ए.	20			
महाविद्यालय का स्थापना वर्ष - 1994-95 शासन का आदेश - 17-06/2015/38-2 दिनांक 31.01.2015						

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
					<p>underway. The committee recommends one teacher of computer Science in DCA.</p> <p>7. Appointment of one teacher in each of the subject Physics, Chemistry, Mathematics, Biology & Zoology is required to run B.Sc. (Maths Group) 40 seats and B.Sc. (Bio Group) 40 seats.</p> <p>8. Books for the subjects - Physics, Chemistry, Mathematics, Biology & Zoology are insufficient Books for each subject most be purchased in proportion to the strength books for DCA 20 seats are also required.</p> <p>9. Lab equipment/glassware/ apparatus needs to be purchased & stalled in proportion to the strength of the students for Physics, Chem, Bot. & Zoology labs.</p>	
6	महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कालेज, महाराजा भिमसेन मार्ग, समता कालोनी, रायपुर	बी.काम. अनिवार्य विषय	सीट वृद्धि-60 पूर्व सीट-60 कुल-120	2015-16	<p>निरीक्षण तिथि :- 06.06.2015</p> <p>पत्र क्रमांक 3756/अका. /2015 दिनांक 05.06.2015 के परिप्रेक्ष्य में आज दिनांक 06.06.2015 को महाराणा अग्रसेन इंटरनेशनल कालेज, समता कालोनी का निरीक्षण लिया और पाया कि -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. महाविद्यालय में अधोसंरचना पर्याप्त है। 2. वाणिज्य में 1 तथा कंप्यूटर विषय में 2 शिक्षकों की नियुक्ति परिनियम 28 के अंतर्गत की जावे। 3. वाणिज्य विषय में 	<p>निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई।</p> <p>संबंधित महाविद्यालय समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।</p> <p>परिनियम 28 के तहत आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति 3 माह के अंदर पूर्ण करें।</p>
		बी.काम. कंप्यूटर एप्लिकेशन	सीट वृद्धि-30 पूर्व सीट-60 कुल-90			
		पी.जी.डी.सी. ए.	सीट वृद्धि-30 पूर्व सीट-60 कुल-90			

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
					100000/- तथा कंप्यूटर विषय में 20,000/- रुपये की पुस्तकें ग्रंथालय में क्रय किये जाने की आवश्यकता है। 4. महाविद्यालय की कम्प्यूटर प्रयोगशाला में 20 और कम्प्यूटर क्रय करने की आवश्यकता है। 5. लाइसेन्स्ड सॉफ्टवेयर की Renew (नवीनीकरण) करवाने की आवश्यकता है। बी.काम. अनिवार्य विषय -60 सीट वृद्धि की पात्रता उपरोक्त को पूर्ण करने पर है। बी.काम. कम्प्यू एप्लि. -30 सीट वृद्धि पी.जी.डी.सी.ए. -30 सीट वृद्धि की पात्रता उपरोक्त शर्तों को पूर्ण करने पर है।	
	महाविद्यालय का स्थापना वर्ष - 2006-07					
7	सर्वतोमुखी समाधान कालेज, बेरला रोड, फरी, बेमेतरा (छ.ग.)	B.B.A. -II B.Com. - II- (Compulsory Subject with Computer Application) B.C.A.- II	30 30 30	2013-14	निरीक्षण तिथि :- 08.05.2015 • The College has sufficient infrastructure in terms of the Building, Class rooms, furniture, land etc. • Non faculty appointed under college code 28 but the college has no permanent principal. • The college has 30 PCs but needs 15 more. • Licenced Software are to be purchased as per syllabus. • Books worth Rs. 12,000 are to be purchased for B.B.A., B.Com. & B.C.A. Courses.	निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने के शर्त पर सत्र 2013-14 से बी.बी.ए. -II, बी.काम. (Compulsory Subject with Computer Application) - II, बी.सी.ए.-II की सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई। संबंधित महाविद्यालय समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे। परिनियम 28 के तहत आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति 3 माह के अंदर पूर्ण करें। महाविद्यालय से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाये कि सत्र 2014-15
	महाविद्यालय का स्थापना वर्ष - 2012-13 शासन का आदेश क्र. 322/आउशि/अशै.प्र./2015 दिनांक 12.03.2015					

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
						<p>में बी.बी.ए., बी.काम. कम्प्यूटर/बी.काम. अनिवार्य विषय के तृतीय वर्ष में बिना सम्बद्धता के छात्रों को प्रवेश क्यों दिया गया ?</p> <p>इस संबंध में यह भी सूचित किया जावे कि इस स्थिति में बी.बी. ए. तृतीय एवं बी.काम. तृतीय वर्ष में प्रवेशित छात्रों को विश्वविद्यालय के बिना अनुमति के परीक्षा में सम्मिलित कराने के कारण परीक्षा परिणाम क्यों न रोक दिया जावे, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी महाविद्यालय की होगी। अतः एक माह के अंदर शासन से तत्काल उपरोक्त विषयों के लिये सत्र 2014-15 की अनुमति प्राप्त कर सम्बद्धता हेतु आवेदन करें अन्यथा महाविद्यालय में सत्र 2015-16 में प्रथम वर्ष प्रवेश प्रतिबंधित करने की कार्यवाही क्यों न की जावे।</p>

03. बागबहरा शिक्षा समिति द्वारा पूर्व में संचालित यतन महिला महाविद्यालय, महासमुंद की सम्बद्धता समाप्त करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : महाविद्यालय द्वारा समस्त देनदारियों की जिम्मेदारी लेने के शर्त पर महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त करने की अनुशंसा की गई।

04. प्लेटिनम कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, आशीर्वाद टावर, जी.ई. रोड, रायपुर के परिवर्तित स्थान में महाविद्यालय संचालन हेतु समय-सीमा में वृद्धि के संबंध में विचार करना।

निर्णय : प्लेटिनम कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, आशीर्वाद टावर, जी.ई. रोड, रायपुर के परिवर्तित स्थान में महाविद्यालय संचालन हेतु समय-सीमा में वृद्धि के संबंध में प्रकरण आगामी कार्यपरिषद् में प्रस्तुत किये जाने की अनुशंसा की गई।


05. सेंट्रल इंडिया इंस्टीट्यूट देवादा, राजनांदगांव के शासी निकाय के द्वारा सत्र 2015-16 के लिये बी.एड. पाठ्यक्रम को शून्य किये जाने के निर्णय पर विचार करना।

निर्णय : सेंट्रल इंडिया इंस्टीट्यूट देवादा, राजनांदगांव को सत्र 2015-16 में बी.एड. को शून्य काल घोषित करने हेतु तत्काल एन.सी.टी.ई. से अनुमति प्राप्त कर, विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करने हेतु पत्र लिखा जावे।

06. एन.सी.टी.ई. भोपाल द्वारा जारी Order for shifting of premises का पत्र क्र. WRC/QPW04626/723112 (shifting for premises)/215th/2015/131872 Date 24/26-02-2015 के संबंध में किये गए पुनः निरीक्षण प्रतिवेदन पर विचार करना।

निर्णय : इंडियन कालेज ऑफ एजुकेशन, स्टेशन रोड महासमुंद को एन.सी.टी.ई. भोपाल द्वारा जारी Order for shifting of premises का पत्र क्र. WRC/QPW04626/723112 (shifting for premises)/215th/2015/131872 Date 24/26-02-2015 के आधार पर सत्र 2015-16 से महाविद्यालय के स्थान परिवर्तन करने की अनुशंसा की गई।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यवाही सम्पन्न हुई।


कुलपति
अध्यक्ष


कुलसचिव
सचिव

पृ. क्र. 3789 / अका. / वि.प.स्थायी समिति / 2015
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक: 10 / 06 / 2015

1. समस्त संकायाध्यक्षों को,
2. सहायक कुलसचिव, परीक्षा / उ.कु.स. गोपनीय,
3. वित्त नियंत्रक / अंकेक्षण,
4. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित।


उप कुलसचिव (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्र. 3957 / अका./ वि.प.स्थायी समिति / 2015

रायपुर, दिनांक: 27 / 06 / 2015

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की आवश्यक बैठक शनिवार, दिनांक 27.06.2015 अपरान्ह 04.00 बजे कुलपति कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे –

1.	प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	—	अध्यक्ष
2.	डॉ. रोहिणी प्रसाद	—	सदस्य
3.	डॉ. स्वर्णलता सराफ	—	सदस्य
4.	डॉ. भगवंत सिंह	—	सदस्य
5.	डॉ. एम.डब्ल्यू.वाय. खान	—	सदस्य
6.	डॉ. सी.डी. अगासे	—	सदस्य
7.	डॉ. ए.के. श्रीवास्तव	—	सदस्य
8.	डॉ. ओ.पी. चन्द्राकर	—	सदस्य
9.	डॉ. एस.सी. नैथानी	—	सदस्य
10.	डॉ. अब्दुल अलीम खान	—	सदस्य
11.	श्री के.के. चंद्राकर, कुलसचिव	—	सचिव

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

01. विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 09.06.2015 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 09.06.2015 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।

02. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र संख्या एवं सत्रानुसार अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है –

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
1.	स्वामी अजय गुरुदेव इस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नालॉजी, आई.टी.बी.पी. रोड, ग्राम-मुडपार, पो.-खरोरा, तह.-तिल्दा, जिला-रायपुर	B.Sc.-I-Maths Group (Physica. Maths, Chemistry)	40	2015-16	निरीक्षण तिथि:- 13.06.2015 वि.वि. के पत्र क्र. 3583/अका./2015 दिनांक 20.05.2015 के संदर्भ में निरीक्षण समिति ने दिनांक 13.06.2015 को स्वामी अजय गुरुदेव इस्टी. ऑफ टेक्नालॉजी, खरोरा, का निरीक्षण किया एवं पाया कि 1. बी.एस.सी. गणित समूह (40 सीट), बी.एस.सी.	निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई। संबंधित महाविद्यालय समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे। परिनियम 28 के
B.Sc.-I-Bio-Group (Chemistry Botany, Zoology)		40				
B.Com.-I-Compulsory Subject		40				

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
	(श्री अभिनव शैक्षणिकोत्तर सामाजिक उत्थान समिति स्टेशन रोड रायपुर)	B.Com.-I-Computer Application	40		बायो समूह (40 सीट), बी.काम. (40 सीट) एवं बी.काम. कम्प्यूटर साइंस (40 सीट), हेतु अधोसंरचना पर्याप्त है, जिसमें 04 अध्यापन कक्ष, 03 प्रयोगशाला कक्ष (भौतिकी, रसायन एवं वनस्पति / जीव विज्ञान), 01 कम्प्यूटर प्रयोगशाला सहित कुल 14 कक्ष हैं। कुल क्षेत्रफल 7.115 एकड़ परिवर्तित जमीन है तथा भवन का निर्मित क्षेत्र 12,500 वर्ग फीट है।	तहत आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति 3 माह के अंदर पूर्ण करें।
शासन का आदेश क्र. एफ 17-23/201538-2 दिनांक 31.01.2015					2. महाविद्यालय की जमीन श्री अभिनव शैक्षणिकोत्तर सामाजिक उत्थान समिति के नाम पर है।	
					3. प्राचार्य एवं सहा. प्राध्यापकों (प्रत्येक विषय में एक) की नियुक्ति परिनियम 28 में किए जाने की आवश्यकता है।	
					4. बी.काम. (कम्प्यूटर) के लिए 20 कम्प्यूटर टर्मिनल उपलब्ध हैं जो कि पर्याप्त है। भौतिकी, रसायन एवं वनस्पति। जीव विज्ञान प्रयोगशाला में उपकरण छात्रों के अनुपात से कम है। समिति छात्र अनुपात में अधिक उपकरणों की अनुशांसा करती है।	
					5. सभी विषयों के पुस्तकों का क्रय आर्डर दिया गया है। छात्र अनुपात में पुस्तकों एवं संदर्भ ग्रंथों की आवश्यकता है।	

03. एन.सी.टी.ई. रेगुलेशन 2014 के अंतर्गत बी.एड. पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने के संबंध में विचार करना।

टीप : एन.सी.टी.ई. रेगुलेशन 2014 के पूर्ति हेतु बी.एड. पाठ्यक्रम के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में गठित निरीक्षण समिति द्वारा प्रस्तुत टीप निम्नानुसार है :-

बी.एड.

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	निरीक्षण समिति के सदस्य	निरीक्षण समिति द्वारा टीप
1.	आदर्श महाविद्यालय, दतरेंगा, मुर्सा, रायपुर (आदर्श नर्सिंग इंस्टीट्यूट, दतरेंगा, रायपुर)	बी.एड.	निरीक्षण तिथि :- 25.06.2015 As per Univ. letter No. 3871/Acad/2015, dt 23-05-2015 regarding grant of NOC for commencing B.Ed. Course at Adarsh Mahavidyalaya (Adarsh Nursing institute), Datrenga, Raipur. The Committee visited in 25-06-2015. and observed the land availability by the Director, regarding provision of necessary infrastructure by 31-03-2016. The Committee recommends for the grant of NOC for B.Ed. Course for 2016-17 session.	एन.सी.टी.ई. विनियम 2014 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त होने पर सत्र 2016-17 से बी.एड. पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की सशर्त अनुशंसा की गई।
2.	साई सदन एजुकेशन स्कूल, ग्राम-बेंद्री, वि.ख.-अभनपुर, रायपुर	बी.एड.	निरीक्षण तिथि :- 26.06.2015 The committee visited the proposed site at Bendri on 26/6/2015. Following are the observations of the committee with respect to the proposed college to start B.Ed. course: 1. The college has adequate (1.67 acres) land required for starting the B.Ed. course. 2. The construction area available is more than 3000 square metre. 3. Already class rooms of NCTE specified size are constructed and seminar hall is under construction. 4. Adequate number of rooms are available for teachers, principal, office, computer lab. and library. 5. There is arrangement of separate toilets and common rooms for boys and girls. 6. Land available is adequate for sports, parking and other activities. 7. Furniture exist but not in good condition.	एन.सी.टी.ई. विनियम 2014 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त होने पर सत्र 2016-17 से बी.एड. पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की सशर्त अनुशंसा की गई।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	निरीक्षण समिति के सदस्य	निरीक्षण समिति द्वारा टीप
3.	कृति स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, ज्ञानगंगा स्कूल के पास विधानसभा रोड, नरदहा, रायपुर	बी.एड.	<p>निरीक्षण तिथि :- 26.06.2015 विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 3928/अका./2015 रायपुर दिनांक 26.06.2015 के परिपालन में आज दिनांक 26.06.2015 को बी.एड. पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया जिसमें निम्न तथ्य पाये गये-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. महाविद्यालय में प्राचार्य एवं व्याख्याता की नियुक्ति अपनी व्यवस्था में की गई है। विश्वविद्यालय के परिनियम 28 के तहत नहीं है। 2. महाविद्यालय के पास 5 एकड़ की भूमि है। 3. अधोसंरचना में भवन पर्याप्त है। खेल का मैदान उपलब्ध है। विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था है। पुस्तकालयों में पुस्तकों की संख्या पर्याप्त है। 4. ITC संसाधन उपलब्ध है। 5. भवन में (प्रयोगशाला, प्राचार्य कक्ष, स्टाफ कक्ष, प्रशासनिक कक्ष, आगन्तुक कक्ष, प्रशासन, कैंटीन, पार्किंग) उपलब्ध है। 	एन.सी.टी.ई. विनियम 2014 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त होने पर सत्र 2016-17 से बी.एड. पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की सशर्त अनुशंसा की गई।
4.	हरिओम शिक्षण समिति जोगनीपाली, तह.-सराइपाली	बी.एड.	<p>निरीक्षण तिथि :- 23.06.2015 With reference to university letter no. 3873/Acd/2015 dated 23/6/2015 the committee inspected the place of Hariom Shikshan Samiti, Joginipali, tehsil Saraipali on 26-6-2015 for NOC to start B.Ed. course and observed the followings:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. That the Hariom Shikshan Samiti, Joginipali, tehsil Saraipali has 2.10 Acre of land and has a construction of building having eight rooms of 20x30 feet each at ground and first Floor (Block A) and four rooms of 30x15 feet at ground Floor (Block B). Apart from this, samiti has also a big hall which needs renovation for academic purpose mentioned in map. The land will be transferred in the name of Samiti very soon. (Letter of Chairman and Map attached) 	एन.सी.टी.ई. विनियम 2014 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त होने पर सत्र 2016-17 से बी.एड. पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की सशर्त अनुशंसा की गई।


क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	निरीक्षण समिति के सदस्य	निरीक्षण समिति द्वारा टीप
			<p>2. That in the same campus the construction work at (Block C) is in progress. That at present in Block A and B, a school named Gopnath Vidhya Mandir from calss VI to XII is functioning since 2011.</p> <p>3. That the Chairman of the samiti has given a certificate/undertaking that the school Gopnath Vidhya Mandir, Saraipali will be shifted before next academic session in the Block B & C. After that Block A will be used onle for B.Ed. Course along with all essential facilities as mentioned in Rajpatra to start B.Ed. course in point number 6.1 under sub point from (i) to (vii). Copy of certificate attached)</p> <p>In view of the above observations and commitment of the chairman of the samiti the committee is of the opinion that NOC for the B.Ed. course may be given subject to further Inspection before the affiliation of B.Ed. Programme.</p>	
5.	संस्कार सिटी कालेज ऑफ एजुकेशन, ग्राम-ठाकुरटोला, जी.ई. रोड, राजनांदगांव	बी.एड.	<p>निरीक्षण तिथि :- 26.06.2015</p> <p>The visiting team constituted for the issue of NOC for starting B.Ed. course in Sanskar City College of Education has visited the premises of the college on 26-06-2015 and observed that the college has sufficient infrastructure and area to start the course. Therefore, the committee recommends to issue NOC to the college to start the course with affiliation from Pt. Ravishankar Shukla University.</p>	एन.सी.टी.ई. विनियम 2014 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त होने पर सत्र 2016-17 से बी.एड. पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की सशर्त अनुशंसा की गई।
6.	सी.आई.टी. कालेज, पार्री नाला, जी.ई. रोड, राजनांदगांव	बी.एड.	<p>निरीक्षण तिथि :- 26.06.2015</p> <p>The committee visited the premises of CIT B.Ed. College, Parri nala, GE Road, Rajnandgaon on June 26, 2015 for the inspection as per the guidelines started in the above mentioned letter.</p> <p>During inspection, the following information was collected and verified:</p> <p>1. Society Registration & By-laws: The Society is registered in the</p>	एन.सी.टी.ई. विनियम 2014 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त होने पर सत्र 2016-17 से बी.एड. पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की सशर्त अनुशंसा की गई।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	निरीक्षण समिति के सदस्य	निरीक्षण समिति द्वारा टीप
			<p>name of Siddhi Vinayak Shikhan Sangh, Rajnandgaon vide letter no. 1536/2002 dated 2.9.2002. The by-laws of the Society are enclosed;</p> <p>2. Land Registry documents: The documents are enclosed; Proposed site for B.Ed. College: The map of the building along with the photographs where the B.Ed. course is proposed to be run is enclosed. Physical verification of the building has been carried-out by the committee.</p> <p>3. Audit Report: The audit report of the Siddhi Vinayak Shikhan Sangh, Rajnandgaon for the year 2013-14 is enclosed.</p> <p>On the basis of the above submitted documents and Physical inspection of the site, the inspection Committee recommends NOC for commencing B.Ed. program at CIT B.Ed. College, Parri Nala, GE Road, Rajnandgaon run by the Siddhi Vinayak Shikhan Sangh, Rajnandgaon.</p>	

04. विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 09.06.2015 का पालन प्रतिवेदन का अनुमोदन करना।

निर्णय : विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 09.06.2015 का पालन प्रतिवेदन का सूचना ग्रहण किया गया।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यवाही सम्पन्न हुई।


कुलपति
अध्यक्ष


कुलसचिव
सचिव

पृ. क्र. 3958 / अका. / वि.प.स्थायी समिति / 2015
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक: 27/06/2015

1. समस्त संकायाध्यक्षों को,
2. उ.कु.स. गोपनीय/परीक्षा,
3. वित्त नियंत्रक/अंकेक्षण,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित।


उप कुलसचिव (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्र. 4238 / अका. / वि.प.स्थायी समिति / 2015

रायपुर, दिनांक: 29/07/2015

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की आवश्यक बैठक मंगलवार, दिनांक 28.07.2015 अपरान्ह 04.00 बजे कुलपति कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे -

1.	प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	-	अध्यक्ष
2.	डॉ. स्वर्णलता सराफ	-	सदस्य
3.	डॉ. भगवंत सिंह	-	सदस्य
4.	डॉ. एम.डब्ल्यू.वाय. खान	-	सदस्य
5.	डॉ. सी.डी. अगासे	-	सदस्य
6.	डॉ. ए.के. श्रीवास्तव	-	सदस्य
7.	डॉ. ओ.पी. चन्द्राकर	-	सदस्य
8.	डॉ. एस.सी. नैथानी	-	सदस्य
9.	डॉ. अब्दुल अलीम खान	-	सदस्य
10.	श्री के.के. चंद्राकर, कुलसचिव	-	सचिव

भारत के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम वैज्ञानिक एवं मिसाइल मैन का दिनांक 27.07.2015 को शिलांग में असामयिक निधन हो जाने के कारण, विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के सदस्यों ने दो मिनट मौन रखकर शोक श्रद्धांजली दी।

तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

- विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 27.06.2015 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।
- निर्णय : विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 27.06.2015 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।
- निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र संख्या एवं सत्रानुसार अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है -

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
1.	शासकीय दिग्विजय स्नातकोत्तर महावि. राजनांदगांव	Add on Course (Diploma) Spoken English & Crative Writing	60	2014-15	निरीक्षण तिथि :- 22.06.2015 The College has Sufficient infrastructural facilities. The college has 92621 books in general and 2000 books in departmental library. The department has an established language laboratory. The department is already running certificate course in "spoken English and Creative Writing". The College fulfils basic requirements for the affiliation of Diploma Course in "Spoken English and Creative Writing".	निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।
शासन का आदेश - छ.ग. शासन उ.शि. विभाग मंत्रालय पत्र पृ. क्र. 3068/एफ 3-18/11/38-1 रायपुर दिनांक 29.08.2011						

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
2.	शासकीय पं. श्यामाचरण शुक्ल महा. धरसीवा, जिला-रायपुर	M.Sc. Prev. Maths	15	2015-16	<p>निरीक्षण तिथि :- 16.07.2015 The team inspected Govt. Pt. Shyamacharan Shukla College Dharsiwa, for inspection for granting affiliation to M.Sc. Pre. Math (Seat-15) from 2015-16 sessions. College is house in its own building, having sufficient space. At Present one professor post is sanctioned however 4 more teachers for M.Sc. Maths shall be required. Books are insufficient. and need to be purchased in proportion for student's strength.</p>	निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।
		M.A. Final Political Sc.	30	2015-16	<p>निरीक्षण तिथि :- 16.07.2015 एम.ए. अंतिम राजनीति विज्ञान की कक्षा (सीट संख्या-30) सत्र 2015-16 से प्रारंभ करने की पात्रता है। शर्तें - 1. राजनीति विज्ञान विभाग हेतु 20 हजार रुपयों की पुस्तकें क्रय करने, 2. राजनीति शास्त्र विभाग में प्राध्यापक के रिक्त पद की पूर्ति करने एवं 2 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति करने की शर्तों की पूर्ति करने के शर्त पर सत्र 2015-16 से एम.ए. अंतिम कक्षा (सीट संख्या-30) प्रारंभ करने की अनुशंसा की जाती है।</p>	
<p>शासन का आदेश - छ.ग. शासन उ.शि. विभाग मंत्रालय पत्र क्र. एफ 3-87/2014/38-1 रायपुर दिनांक 22.08.2014</p>						
03	दिशा कॉलेज, रामनगर, कोटा रोड, रायपुर	M.Com. Prev.	25	2015-1	<p>निरीक्षण तिथि :- 14.07.2015 विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक 4080/अका./2015 दिनांक 10.07.2015 द्वारा नवीन कक्षा विषय एम.कॉम. की 25 सीट तथा पी. जी.डी.सी.ए. की 30 सीट की वृद्धि हेतु दिनांक 14.07.2015 को दिशा कालेज रामनगर कोटा रायपुर का निरीक्षण किया निरीक्षण समिति का प्रतिवेदन निम्नानुसार है : 1. एम.काम. की 25 सीट (नवीन कक्षा) तथा पी.जी.डी.सी.ए. पाठ्यक्रम हेतु 30 सीट की वृद्धि के लिए अधोसंरचना पर्याप्त है। अध्यापन हेतु पर्याप्त संख्या में फर्नीचर एवं शिक्षण कक्ष उपलब्ध है।</p>	निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई। संबंधित महाविद्यालय समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे। परिनियम 28 के तहत आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति तीन माह में पूर्ण करें।
		PGDCA Seat Increase	30			

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
				6	<p>2. एम.काम. की 25 सीट (नवीन कक्षा) तथा पी.जी.डी.सी.ए. पाठ्यक्रम हेतु 30 सीट की वृद्धि के लिए अधोसंरचना पर्याप्त है। अध्यापन हेतु पर्याप्त संख्या में फर्नीचर एवं शिक्षण कक्ष उपलब्ध है।</p> <p>3. कम्प्यूटर प्रयोगशाला में पर्याप्त संख्या में कम्प्यूटर उपलब्ध है।</p> <p>4. ग्रंथालय में एम.काम. पी.जी.डी.सी.ए. पाठ्यक्रम हेतु पर्याप्त मात्रा में पुस्तकें उपलब्ध है।</p> <p>5. महाविद्यालय में पी.जी.डी.सी.ए. पाठ्यक्रम हेतु पर्याप्त Oralce, Visual Basic, Java, Office Automation के Licenced Software नहीं है, अतः इनका क्रय तत्काल किया जावे।</p> <p>6. पी.जी.डी.सी.ए. पाठ्यक्रम हेतु प्राचार्य सहित दो शिक्षक परिनियम 28 के तहत नियुक्त है। निरीक्षण के समय शिक्षक अनुपलब्ध थे। महाविद्यालय द्वारा यू.जी.सी. रेगुलेशन 2009 के मापदण्डों के अनुसार योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए।</p> <p>7. छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु संदर्भग्रंथ व कम्प्यूटर पत्रिकाओं क्रय किया जाना चाहिए।</p>	
04	शासकीय महावि. मंगचुवा, जिला-बालोद	<p>B.A. -II - Hindi, English (F.C.), Sociology, Economics, Geography</p> <p>B.Sc. -II - (F.C., Chemistry, Botany, Zoology)</p>	60	2014-15	<p>निरीक्षण तिथि :- 17.07.2015 वि.वि. पत्र क्रमांक 1265/अका. /2014 दिनांक 09.09.2014, निरीक्षण समिति को सम्पर्क दिनांक 07.07.2015 एवं संबंध में निरीक्षण दिनांक 17.07.2015 को किया गया एवं देखा।</p> <p>1. उक्त महाविद्यालय का संचालन हायर सेकेण्डरी एवं पंचायत भवन (मंगचुआ) जिसमें 07 कमरे व 04 बड़े कमरा है में संचालित है। तथा वर्तमान छात्र संख्या B.Sc.-IInd (10), B.Com.-IInd(13) एवं B.A.-IInd (29) है।</p>	निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
		B.Com.-II (Compulsory Subject)	60		2. महाविद्यालय में वर्तमान में (03) शिक्षक कार्यरत हैं, जिसमें एक प्रभारी प्राचार्य का कार्य कर रहे हैं। शासन द्वारा (08) शिक्षक (1) प्राचार्य एवं (08) अशैक्षणिक पद स्वीकृत किये हैं। 3. महाविद्यालय के छात्र संख्या के अनुपात में पुस्तकें उपलब्ध हैं लेकिन और पुस्तकें क्रय किये जाने की आवश्यकता है। 4. प्रभारी प्राचार्य ने बताया महाविद्यालय का भवन निर्माणाधीन है।	
	शासन का आदेश – छ.ग. शासन उ.शि. संचालनालय पत्र क्र. 111/आउशि/ब. योजना/2013 रायपुर दिनांक 20.05.2013					
		B.A. -III - Hindi, English (F.C.), Sociology, Economics, Geography	60	2015-16	<u>निरीक्षण तिथि :- 24.07.2015</u> 1. बी.ए.-III, B.Comm-III व B.Sc.-III वर्ष की कक्षाओं हेतु प्रत्येक कक्षा में 60 विद्यार्थियों की क्षमता महाविद्यालय में पर्यप्त साधन, सुविधाएं एवं संरचना उपलब्ध है, अतः उक्त कक्षाओं की सम्बद्धता हेतु पात्रता है। 2. नियमित शिक्षकों की कमीक है, जिसकी शत-प्रतिशत पूर्ति अतिथि शिक्षकों द्वारा की जा रही है।	
		B.Sc. -III - (F.C., Chemistry, Botany, Zoology)	60			
		B.Com.-III (Compulsory Subject)	60			
05	प्लेटिनम कालेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडिज़, आशीर्वाद टावर, जी.ई. रोड, रायपुर	B.B.A.- II- 40 III- 40 B.C.A. - II- 30 III- 30		2014-15	<u>निरीक्षण तिथि :- 13.07.2015</u> We inspected Platinum College on 13-07-2015 for affiliation of B.B.A. and B.C.A. II and III years courses for 40 & 30 seats respectively. College is running in a leased building in 2nd and 3rd Floor, having 6 room of 30 capacities each, 2 labs and staff rooms. College is having 21 computers in computers lab, and small library with 1780 books. College is having 5.24 acre land at Mana, Raipur, Principal is not appointed under section 28, working under section 28, their payments are made through bank. College has advertised teaching posts.	निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई। संबंधित महाविद्यालय समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे। परिनियम 28 के तहत आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति तीन माह में पूर्ण करें।
	शासन का आदेश – छ.ग. शासन उ.शि. संचालनालय पत्र क्र. 319/आउशि/अशै.प्र. /2015 रायपुर दिनांक 12.03.2015					

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
06	संत गुरु घासीदास शासकीय स्नातकोत्तर महावि. कुरुद	M.Sc. Prev. Mathematics	20	2015-16	<p>निरीक्षण तिथि :- 22.07.2015</p> <p>The team visited on 22-7-2015 for inspection in respect of granting affiliation to M.Sc. Maths(Prev.) course. It is observed that :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. At present two teachers of Maths are working in the college. 2. Infrastructure. facilities are available. 3. As for Books in Maths are concerned, facilities need to be improved. 4. There is a need of additional teachers for M.Sc. Maths Course. 	निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।
		शासन का आदेश - छ.ग. शासन उ.शि. संचालनालय पत्र क्र. एफ 5-34/2008/38 रायपुर दिनांक 05.07.2008				
07	साई महाविद्यालय, सेक्टर-6, भिलाई, जि. -दुर्ग	B.Sc. -III Physics, Chemistry, Maths	60	2014-15	<p>निरीक्षण तिथि :- 23.07.2015</p> <p>The team visited the college on 23-07-2015 for inspection for granting affiliation to B.Sc. (PCM) III year Course.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The College has sufficient infrastructure, Laboratory and Library facilities to run the course. 2. One teacher in Physics need to be appointed under section 28 	<p>निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई।</p> <p>संबंधित महाविद्यालय समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे। परिणियम 28 के तहत आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति तीन माह में पूर्ण करें।</p>
		शासन का आदेश - छ.ग. शासन उ.शि. संचालनालय पत्र क्र. 313/आउशि/अशौ.प्र./2015 दिनांक 12.03.2015				
08	शासकीय महाविद्यालय, भखारा, जिला-धमतरी	M.A. Final Economics P.G.D.C.A. D.C.A.	30 40 40	2015-16	<p>निरीक्षण तिथि :- 23.07.2015</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. शासकीय महाविद्यालय भखारा में एम.ए. अर्थशास्त्र-I एवं II सेमेस्टर की कक्षाएं वर्ष 2014-15 से प्रारम्भ हो चुकी है। वर्ष 2015-16 से III एवं IV सेमेसअत्र कक्षाएं प्रारम्भ की जानी हे। महाविद्यालय में अर्थशास्त्र विषय में एक नियमित प्राध्यापक है, अतः दो शिक्षकों की और आवश्यकता होगी। 2. ग्रंथालय में अर्थशास्त्र विषय की उपलब्ध पुस्तकों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम के विभिन्न प्रश्नपत्रों में उल्लेखित पाठ्यपुस्तकों को छात्रों के लिये उपलब्धता हो। 	निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।
		P.G.D.C.A. & D.C.A. शासन का आदेश - छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय का पत्र क्र. एफ 3-58/2013/38-1 दिनांक 28.06.2014				

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
					3. पी.जी.डी.सी.ए. एवं डी.सी.ए. के लये कम्प्यूटर प्रयोगशाला में 15 कम्प्यूटर हैं, 05 कम्प्यूटर की और आवश्यकता होगी। वर्तमान में नियमित शिक्षक कम्प्यूटर में नहीं है, परंतु महाविद्यालय द्वारा जनभागीदारी के माध्यम से शिक्षकों हेतु विज्ञापन किया गया है। ग्रंथालय में पाठ्यक्रम अनुसार पुस्तकों को क्रय करने की आवश्यकता है।	
09	अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती रायपुर	M.Com. Prev.	20	2015-16	निरीक्षण तिथि - 23.07.2015 वि.वि. पत्र क्र. 4130/अका./2015 दिनांक 17.7.2015 के संदर्भ में आज दिनांक 23.07.2015 को निरीक्षण किया एवं देखा - 1. अग्रसेन महाविद्यालय पुरानी बस्ती, रायपुर में एम.काम. 20 सीट के लिये अधोसंरचना पर्याप्त है। 2. पुस्तकालय में छात्र अनुपात में पुस्तकों की संख्या कम है जिसका घोषणा पत्र प्राचार्य द्वारा दिया गया कि पुस्तकें (150 प्रति सेमेस्टर) 3. एक सप्ताह में क्रय कर ली जायेगी। 4. उक्त महाविद्यालय में परिनियम 28 के तहत प्राचार्य की नियुक्ति नहीं हुयी है लेकिन वाणिज्य (बी.काम.) के लिये (03) शिक्षकों की नियुक्ति की गयी है। एम.काम. के लिये (1) एक और शिक्षक की नियुक्ति परिनियम 28 के तहत की जानी है। प्राचार्य का विज्ञापन निकाला गया है। 5. महाविद्यालय दो पालियों में संचालित है। 6. शिक्षकों एवं कर्मचारियों का भुगतान बैंक के माध्यम से होता है। लेकिन छठवें वेतनमान से नहीं किया जाता है।	निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई। संबंधित महाविद्यालय समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे। परिनियम 28 के तहत आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति तीन माह में पूर्ण करें।
	शासन का आदेश - छ.ग. शासन उ.शि. विभाग मंत्रालय पत्र क्र. एफ 17-10/2015/38-2 रायपुर दिनांक 30.01.2015					

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
10	एलायंस इंस्टीट्यूट ऑफ कामर्स एण्ड मैनेजमेंट सेक्टर-6, भिलाई	PGDCA DCA B.Com. (Compulsory) Seat Increment B.Com. (Computer Application) Seat Increment M.Com. Prev.	30 30 30 20	2015-16	<p>निरीक्षण तिथि - 24.07.2015</p> <p>वि.वि पत्र क्र. 4153/अका/2015 दिनांक 20.7.2015 के संबंध में आज दिनांक 24.07.2015 को निरीक्षण किया एवं पाया :-</p> <ol style="list-style-type: none"> उक्त महाविद्यालय किराये के भवन में संचालित है, एवं प्राचार्य ने बताया कि महाविद्यालय 2 Shift में संचालित होता है। उक्त के अनुसार अधोसंरचना पर्याप्त है। M.Com. 20 Seats, PGDCA-30 seats, DCA-30 Seat के ये पुस्तकें पाठ्यक्रम के अनुसार क्रय किये जाने की आवश्यकता है। M.Com.-20 के लिये किताबों की प्रक्रियाका चालान संलग्न है। कम्प्यूटर प्रयोगशालाओं में 15 और कम्प्यूटर क्रय किये जाने की आवश्यकता है। महाविद्यालयों में प्राचार्य की एवं Commerce में 3, कम्प्यूटर में दो शिक्षकों की नियुक्ति परिनियम 28 में की जानी है। वर्तमान में 4 शिक्षक परिनियम 28 में कार्यरत है। 	<p>निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई।</p> <p>संबंधित महाविद्यालय समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे। परिनियम 28 के तहत आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति तीन माह में पूर्ण करें।</p>
		<p>New Course - P.G.D.C.A. & D.C.A., Seat Increment -B.Com. & B.Com. Computer Appl.</p> <p>शासन का आदेश - छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय का पत्र क्र. एफ 938/1377/2012/38-2 दिनांक 30.05.2012</p> <p>M.Com. Prev.- 17-15/2015/38-2 दिनांक 30.01.2015</p>				
11	अलशम्स इंफोटेक कालेज, नगरी, जिला-धमतरी	M.S.W. Prev. B.Com.-I-Computer Application	20 40	2015-16	<p>निरीक्षण तिथि :- 26.07.2015</p> <p>विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 4151/अका./2015 रायपुर दिनांक 20.07.2015 के परिपालन में अलशम्स इंफोटेक महाविद्यालय नगरी (सिहावा) में सत्र 2015-16 में एम.एस.डब्ल्यू (20 सीट), बी. काम. (कम्प्यूटर एप्लीकेशन) (40 सीट) सम्बद्धता हेतु दिनांक 26.07.2015 को निरीक्षण किया गया जिसमें निम्न तथ्य पाए गए।</p> <ol style="list-style-type: none"> वर्तमान में महाविद्यालय में प्रभारी प्राचार्य है। विश्वविद्यालय परिनियम 28 के तहत नियुक्ति किया जाना आवश्यक है। महाविद्यालय का निजी 	<p>निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई।</p> <p>संबंधित महाविद्यालय समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे। परिनियम 28 के तहत आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति तीन माह में पूर्ण करें।</p>

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
					<p>iii. भवन है, प्राप्त जानकारी एवं संलग्न दस्तावेज के अनुसार 05 एकड़ जमीन है। जिसमें कुल 12 कमरे हैं, जिसमें अध्यापक के लिए 06 कमरे हैं तथा प्राचार्य एवं कार्यालय के लिए पृथक कमरे उपलब्ध है।</p> <p>iv. महाविद्यालय में 28 परिनियम के तहत संलग्न अनुसार, वाणिज्य में 02 M.S.W. में एक, एवं कम्प्यूटर में तीन शिक्षक है। आवश्यकतानुसार और शिक्षकों की विश्वविद्यालय नियमानुसार नियुक्ति किया जाना आवश्यक है।</p> <p>v. महाविद्यालय में कुल 700 पुस्तकें हैं। भविष्य में छात्र अनुपात में और पुस्तकें पाठ्यक्रम संबंधी क्रय किया जाना आवश्यक है। ग्रन्थपाल कि नियुक्ति विश्वविद्यालय परिनियम 28 के तहत कि जाए।</p> <p>vi. महाविद्यालय में कम्प्यूटर लैब है। जिसमें 30 कम्प्यूटर है एवं 10 नवीनतम काफिगुरेशन के क्रय किया जाना आवश्यक है।</p> <p>vii. महाविद्यालय में लाइसेंस साफ्टवेयर था, जो 31.01.2015 को समाप्त हो चुका है। पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त लाइसेन्स साफ्टवेयर का नवीनीकरण एवं क्रय किया जाना आवश्यक है।</p>	
12	चंद्रपाल डडसेना शासकीय महाविद्यालय, पिथौरा	B.Sc.-II Maths - Physics, Chemistry, Maths	60	2015-16	<p>निरीक्षण तिथि :- 18.07.2015</p> <p>शासकीय महाविद्यालय पिथौरा में बायोग्रुप (CBZ) में स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष एवम् द्वितीय वर्ष संचालित हो चुका हैं तृतीय वर्ष के लिए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 70 सीट की अनुमति दी गई है। गणित ग्रुप (PCM) में 60 सीट</p>	निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
10	एलायस इंस्टीट्यूट ऑफ कामर्स एण्ड मैनेजमेंट सेक्ट.-6, भिलाई	PGDCA DCA B.Com. (Compulsory) Seat Increment B.Com. (Computer Application) Seat Increment M.Com. Prev.	30 30 30 30 20	2015-16	<p>निरीक्षण तिथि - 24.07.2015</p> <p>वि.वि. पत्र क्र. 4153/अका./2015 दिनांक 20.7.2015 के संबंध में आज दिनांक 24.07.2015 को निरीक्षण किया एवं पाया :-</p> <ol style="list-style-type: none"> उक्त महाविद्यालय किराये के भवन में संचालित है, एवं प्राचार्य ने बताया कि महाविद्यालय 2 Shift में संचालित होता है। उक्त के अनुसार अधोसंरचना पर्याप्त है। M.Com. 20 Seats, PGDCA-30 seats, DCA-30 Seat के ये पुस्तकें पाठ्यक्रम के अनुसार क्रय किये जाने की आवश्यकता है। M.Com.-20 के लिये किताबों की प्रक्रियाका चालान संलग्न है। कम्प्यूटर प्रयोगशालाओं में 15 और कम्प्यूटर क्रय किये जाने की आवश्यकता है। महाविद्यालयों में प्राचार्य एवं Commerce में 3, कम्प्यूटर में दो शिक्षकों की नियुक्ति परिनियम 28 में की जानी है। वर्तमान में 4 शिक्षक परिनियम 28 में कार्यरत है। 	<p>निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई।</p> <p>संबंधित महाविद्यालय समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे। परिनियम 28 के तहत आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति तीन माह में पूर्ण करें।</p>
		<p>New Course - P.G.D.C.A. & D.C.A., Seat Increment - B.Com. & B.Com. Computer Appl.</p> <p>शासन का आदेश - छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय का पत्र क्र. एफ 938 / 1377 / 2012 / 38-2 दिनांक 30.05.2012</p> <p>M.Com. Prev.- 17-15 / 2015 / 38-2 दिनांक 30.01.2015</p>				
11	अलशम्स इंफोटेक कालेज, नगरी, जिला-धमतरी	M.S.W. Prev. B.Com.-I-Computer Application	20 40	2015-16	<p>निरीक्षण तिथि :- 26.07.2015</p> <p>विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 4151/अका./2015 रायपुर दिनांक 20.07.2015 के परिपालन में अलशम्स इंफोटेक महाविद्यालय नगरी (सिहावा) में सत्र 2015-16 में एम.एस.डब्ल्यू. (20 सीट), बी. काम. (कम्प्यूटर एप्लीकेशन) (40 सीट) सम्बद्धता हेतु दिनांक 26.07.2015 को निरीक्षण किया गया जिसमें निम्न तथ्य पाए गए।</p> <ol style="list-style-type: none"> वर्तमान में महाविद्यालय में प्रभारी प्राचार्य है। विश्वविद्यालय परिनियम 28 के तहत नियुक्ति किया जाना आवश्यक है। महाविद्यालय का निजी 	<p>निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई।</p> <p>संबंधित महाविद्यालय समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे। परिनियम 28 के तहत आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति तीन माह में पूर्ण करें।</p>

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
					<p>iii. भवन है, प्राप्त जानकारी एवं संलग्न दस्तावेज के अनुसार 05 एकड़ जमीन है। जिसमें कुल 12 कमरे हैं, जिसमें अध्यापक के लिए 06 कमरे हैं तथा प्राचार्य एवं कार्यालय के लिए पृथक कमरे उपलब्ध है।</p> <p>iv. महाविद्यालय में 28 परिनियम के तहत संलग्न अनुसार, वाणिज्य में 02 M.S.W. में एक, एवं कम्प्यूटर में तीन शिक्षक हैं। आवश्यकतानुसार और शिक्षकों की विश्वविद्यालय नियमानुसार नियुक्ति किया जाना आवश्यक है।</p> <p>v. महाविद्यालय में कुल 700 पुस्तकें हैं। भविष्य में छात्र अनुपात में और पुस्तकें पाठ्यक्रम संबंधी क्रय किया जाना आवश्यक है। ग्रन्थपाल कि नियुक्ति विश्वविद्यालय परिनियम 28 के तहत कि जाए।</p> <p>vi. महाविद्यालय में कम्प्यूटर लैब है। जिसमें 30 कम्प्यूटर है एवं 10 नवीनतम कांफिगुरेशन के क्रय किया जाना आवश्यक है।</p> <p>vii. महाविद्यालय में लाइसेंस साफ्टवेयर था, जो 31.01.2015 को समाप्त हो चुका है। पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त लाइसेन्स साफ्टवेयर का नवीनीकरण एवं क्रय किया जाना आवश्यक है।</p>	
12	चंद्रपाल डडसेना शासकीय महाविद्यालय, पिथौरा	B.Sc.-II Maths - Physics, Chemistry, Maths	60	2015-16	<p><u>निरीक्षण तिथि :- 18.07.2015</u> शासकीय महाविद्यालय पिथौरा में बायोग्रुप (CBZ) में स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष एवम् द्वितीय वर्ष संचालित हो चुका हैं तृतीय वर्ष के लिए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 70 सीट की अनुमति दी गई है। गणित ग्रुप (PCM) में 60 सीट</p>	निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
		B.Sc.-II Bio- (Botany, Zoology, Chemistry)	60		की अनुमति दी गई है। अतः पात्रता बनती है। कमियाँ – i. Teaching staff की पर्याप्त व्यवस्था आवश्यक है। ii. रसायन, भौतिकी, बॉटनी, जुलाई, हेतु 30-30 हजार की प्रायोगिक सामग्री क्रय किया जाना आवश्यक है। iii. ग्रंथालय के लिए सभी 5 विषयों हेतु रु. 10-10 हजार की पुस्तकें क्रय किया जाना आवश्यक है।	

03. विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 27.06.2015 का पालन प्रतिवेदन का अनुमोदन करना।

निर्णय : विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 27.06.2015 का पालन प्रतिवेदन का सूचना ग्रहण किया गया।

04. श्री साई कालेज, प्लॉट नंबर-286/1,286/2, 291 देउरझाल, नंदनी, दुर्ग (छ.ग.)-490096 को सत्र 2015-16 से बी.एड-50 सीट (एक यूनिट) के लिए अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने के संबंध में निरीक्षण समिति द्वारा किये गए पुनः निरीक्षण प्रतिवेदन पर विचार करना।

निर्णय : श्री साई कालेज, प्लॉट नंबर-286/1,286/2, 291 देउरझाल, नंदनी, दुर्ग (छ.ग.)-490096 को सत्र 2015-16 से बी.एड 50 सीट (एक यूनिट) प्रारंभ करने हेतु निरीक्षण प्रतिवेदन विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 28.02.2014 में निरीक्षण समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनानुसार एवं एन.सी.टी.ई. भोपाल के Order F.No.APP1482/217th/B.Ed./2015/ 131869 Date 25/26-02-2015 बी.एड. पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु निम्नलिखित शर्तों के साथ अस्थाई सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई।

- परिनियम 28 के तहत न्यूनतम शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति 3 माह के अंदर पूर्ण करें।
- ग्रंथालय में पर्याप्त संख्या में संबंधित विषय की पुस्तकें क्रय की जाए।
- समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।

उक्त शर्तें पूर्ति न करने की स्थिति में महाविद्यालय को दी जा रही उपर्युक्त विषयों की सम्बद्धता आगामी सत्र से वापस ली जावे।

05. नवीन अशासकीय आदर्श महाविद्यालय दतरेंगा, रायपुर के सम्बद्धता के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर के पत्र क्र. एफ 17-02/2015/38-2 दिनांक 27.06.2015 की सूचना ग्रहण करना।
निर्णय : नवीन अशासकीय आदर्श महाविद्यालय दतरेंगा, रायपुर के सम्बद्धता के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर के पत्र क्र. एफ 17-02/2015/38-2 दिनांक 27.06.2015 की सूचना ग्रहण कर महाविद्यालय को सम्बद्धता दिये गए विषयों में आंशिक संशोधन B.Com. के स्थान पर B.Com. Computer Application किये जाने की अनुशंसा की गई।
06. आकांक्षा लायंस स्कूल फॉर मेंटली हैंडिकेप्ड, अवन्ति विहार, रायपुर को B.Ed. Spl. (M.R.) पाठ्यक्रम की सम्बद्धता सत्र 2015-16 एवं 2016-17 दो वर्ष वृद्धि किये जाने के संबंध में विचार करना।
निर्णय : भारतीय पुनर्वास परिषद् (RCI) नई दिल्ली का APPROVAL LETTER - 8-363/B.Ed.Spl.Ed. (MR)/13RCI 1784 अप्रैल, 2015 के अनुसार, आकांक्षा लायंस स्कूल फॉर मेंटली हैंडिकेप्ड, अवन्ति विहार, रायपुर को B.Ed. Spl. (M.R.) द्विवर्षीय पाठ्यक्रम की सम्बद्धता दिये जाने की नियमानुसार कार्यवाही की अनुशंसा की जाती है एवं अध्यादेश तत्काल समन्वय समिति के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाए।
07. शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर का शासन के आदेशानुसार परिवर्तित नाम शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर (College of Teacher Education, Raipur) स्वीकृत किये जाने के संबंध में विचार करना।
निर्णय : विश्वविद्यालय से सम्बद्ध शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर के नाम परिवर्तन के संबंध में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, छत्तीसगढ़ शंकर नगर रायपुर का पत्र क्र./बी.एड./एम. एड./विभागीय/2015-16/3176 दिनांक 27.05.2015 एवं छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश पत्र क्र. 3619/519/2015/20-3 दिनांक 21.05.2015 के द्वारा शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय (College of Teacher Education) रायपुर किये जाने की अनुशंसा की जाती है।
08. कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भिलाई में स्नातक एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम को स्वशासी योजना के अंतर्गत सम्मिलित कर, सत्र 2015-16 से परीक्षायें संचालन के संबंध में विचार करना।
निर्णय: कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भिलाई नगर में बी.ए., बी.काम., बी.एस.सी, बी.एड, बी.लिब. साइंस, बी.बी.ए., बी.सी.ए. एवं एम.एड. पाठ्यक्रम को स्वशासी योजना अंतर्गत सत्र 2015-16 से संचालित किये जाने की अनुशंसा की गई।
09. सत्र 2015-16 के लिए स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम के अनुमोदन के संबंध में विचार करना
निर्णय : महाविद्यालय में अध्ययन-अध्यापन प्रारंभ होने एवं छात्रहित को ध्यान में रखते हुए, शासन के अनुमोदन की प्रत्याशा में वर्तमान सत्र 2015-16 के लिए स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम सत्र 2014-15 के पाठ्यक्रम को यथावत् लागू किया गये जाने की अनुशंसा की गई।

10. यू.जी.सी. का पत्र D.O.No. F. 10-6/2011(PS) Misc Date 6th July, 2015 के अनुसार शोध निर्देशकों के अन्य विश्वविद्यालय के शोधार्थियों के निर्देशन के संबंध में विचार करना।

निर्णय: यू.जी.सी. का पत्र D.O.No. F. 10-6/2011(PS) Misc Date 6th July, 2015 के संदर्भ में विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 10.07.2012 के पैरा 1 एवं 2 में संशोधन करते हुए शोध निर्देशकों को अन्य विश्वविद्यालय/शोध-संस्थानों में निर्देशक कार्य के लिए प्रतिबंधित किया जाता है। यह अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावशील होगा।

11. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध शासकीय महाविद्यालयों में सत्र 2015-16 से प्रवेश मार्गदर्शिका के कांडिका के अनुसार विभिन्न विषय/पाठ्यक्रम में निर्धारित सीट संख्या में सीट वृद्धि के संबंध में विचार करना।

निर्णय: छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का पत्र क्रमांक एफ 3-33/2015/38-1 नया रायपुर, दिनांक 02.07.2015 के आदेशानुसार विभिन्न शासकीय महाविद्यालयों में सत्र 2015-16 से निम्नलिखित विषय/पाठ्यक्रम में सीट वृद्धि के लिए महाविद्यालयों से आवेदन प्राप्त कर, सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की जाती है।

क्र.	महाविद्यालयों का नाम	कक्षा/विषय	सीट वृद्धि संख्या
1	डॉ. राधाबाई शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय, रायपुर	एम.एस.सी. गणित	05
2	शासकीय काब्योपाध्याय हीरालाल महाविद्यालय, अभनपुर	बी.एस.सी (गणित) प्रथम वर्ष	10
3	शासकीय राजीव लोचन महाविद्यालय, राजिम	बी.एस.सी (गणित) प्रथम वर्ष	10
4	शासकीय महाविद्यालय, सिमगा, जिला-बलौदाबाजार भाटापारा	बी.एस.सी (गणित) प्रथम वर्ष बी.एस.सी (बायो.) प्रथम वर्ष	10 10
5	शासकीय बी.सी.एस. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी	बी.एस.सी (बायो.) प्रथम वर्ष बी.ए. प्रथम वर्ष	20 20
6	शासकीय स्नातकोत्तर महावि., कुरुद, जिला-धमतरी	बी.कॉम. प्रथम वर्ष शारीरिक शिक्षा	10 10
7	शासकीय वि.या.ता. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग	बी.एस.सी. इलेक्ट्रॉनिक्स एम.एस.सी. रसायन एम.एस.सी. भौतिकी एम.एस.सी. प्राणीशास्त्र एम.एस.सी. वनस्पति	10 05 05 05 05
8	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भिलाई-3	पी.जी.डी.सी.ए.	10
9	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा, जिला- कबीरधाम	बी.ए. प्रथम वर्ष बी.कॉम. प्रथम वर्ष बी.एस.सी. गणित प्रथम वर्ष बी.एस.सी. बायो. प्रथम वर्ष वी.एस.सी. बायोटेक्नोलॉजी प्रथम बी.एस.सी. प्रथम वर्ष(गणित,कम्प्यूटर सांईस) बी.एस.सी. प्रथम वर्ष (गणित, सूचना प्रौद्योगिकी) पी.जी.डी.सी.ए. डी.सी.ए. एम.एस.सी. रसायनशास्त्र एम.एस.सी. वनस्पतिशास्त्र एम.एस.सी. भौतिकी	15 20 25 25 20 20 10 10 05 05 05 05

		एम.एस.सी. गणित	05
		एम.ए. भूगोल	05
		एम.ए. राजनीति शास्त्र	05
		एम.ए. हिन्दी साहित्य	05
		एम.ए. अंग्रेजी साहित्य	05
		एम.ए. अर्थशास्त्र	05
10	शासकीय स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय, बोड़ला, जिला- कबीरधाम	बी.ए. प्रथम	20
		बी.एस.सी. प्रथम	10
11	शासकीय नवीन महाविद्यालय पंडरिया, जिला- कबीरधाम	बी.एस.सी.(बायोसमूह)प्रथमवर्ष	05
		बी.ए. प्रथम वर्ष	20
12	शासकीय कमलादेवी राठी महिला महाविद्यालय, राजनांदगांव	बी.एस.सी.(माइक्रोबायोलॉजी)	10
13	शासकीय माता कर्मा कन्या महाविद्यालय, महासमुंद	बी.ए. भाग-1	10
14	शासकीय महाविद्यालय, सरायपाली, जिला- महासमुंद	बी.एस.सी. (कम्प्यूटर साईंस)	05
		बी.ए. प्रथम वर्ष	20
		बी.एस.सी. (बायो) प्रथम वर्ष	20
		बी.एस.सी.(गणित) प्रथम वर्ष	10
15	शासकीय दिग्विजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजनांदगांव	एम.एस.सी. गणित	10
		पी.जी.डी.सी.ए.	10
16	शासकीय महाविद्यालय, लवन, जिला- बलौदाबाजार भाटापारा	बी.एस.सी. (बायो) प्रथम वर्ष	10
17	शासकीय महाविद्यालय छूरा, जिला- गरियाबंद	बी.ए. प्रथम वर्ष	10
		बी.एस.सी. (बायो) प्रथम वर्ष	10
18	शासकीय गजानंद अग्रवाल स्नात. महाविद्यालय, भाटापारा, जिला- बलौदाबाजार	पी.जी.डी.सी.ए.	10
19	शासकीय जे. यो. छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर	एम.एस.सी. गणित	05
20	शासकीय पं. श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय, धरसीवां	बी.ए. प्रथम वर्ष	10
		बी.एस.सी. (बायो समूह) प्रथम वर्ष	10
		बी.एस.सी. (गणित समूह) प्रथम वर्ष	10
21	शासकीय कन्या महाविद्यालय, बेमेतरा, जिला- बेमेतरा	बी.ए. प्रथम वर्ष	20
22	शासकीय शिवनाथ विज्ञान महाविद्यालय, राजनांदगांव	बी.ए. प्रथम वर्ष	20
23	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोंगरगढ़	बी.ए. प्रथम वर्ष	10
		बी.कॉम. प्रथम वर्ष	10
		बी.एस.सी. (बायो) प्रथम वर्ष	10
24	शासकीय लाल चक्रधर शाह महाविद्यालय, अम्बागढ़ चौकी	एम.एस.सी. रसायन शास्त्र	05
25	शासकीय सूर्यमुखी देवी महाविद्यालय, छुरिया	बी.ए. प्रथम वर्ष	15
26	शासकीय महाविद्यालय, गोबरा, नवापारा, जिला- रायपुर	बी.एस.सी. (बायो) प्रथम	20
27	शासकीय महाविद्यालय, मोहला, जिला- राजनांदगांव	बी.एस.सी. बायो प्रथम वर्ष	15
28	शासकीय शहीद कौशल यादव महाविद्यालय, गुण्डरदेही	बी.ए. प्रथम वर्ष	15
29	शासकीय महाविद्यालय, अरमरीकला	बी.ए. प्रथम वर्ष	10
		बी.एस.सी. प्रथम वर्ष	10

12. सत्र 2015-16 की वार्षिक संबद्धता आदेश प्रदान करने हेतु महाविद्यालयों की सूची :-
शासकीय महाविद्यालय

1	शास. डॉ. बाबा साहेब भिमराव अम्बेडकर महाविद्यालय, डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)
2	शास. रानी सूर्यमुखी देवी महाविद्यालय, छुरिया जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)

3	शास. जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर
4	चंद्रपाल डडसेना शास. महा. पिथौरा, जिला-महासमुंद
5	शास. महाविद्यालय धमधा जिला-दुर्ग (छ.ग.)
6	शास. स्व. श्री विरेन्द्र बहादुर सिंह महा. सरायपाली, जिला-महासमुंद
7	नवीन शास. कालेज खेरथा, जिला-बालोद
8	नवीन शास. कालेज बेरला, जिला-बेमेतरा (छ.ग.)
9	स्व. श्री देवी प्रसाद जी चौबे शास. महाविद्यालय, गंडई जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)
10	शासकीय महाविद्यालय, गोबरा नवापारा, जिला-रायपुर
11	शास. रानी अवंतीबाई लोधी महाविद्यालय, घुमका, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)
12	स्व. श्री जयदेव सतपथी शास. महाविद्यालय, बसना, जिला-महासमुंद
13	शास. डॉ. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर महाविद्यालय, डोंगरगांव (सत्र 2014-15)

शासकीय शिक्षा महाविद्यालय

1	शास. शिक्षा महाविद्यालय, शंकर नगर, रायपुर
---	---

अशासकीय बी.एड. महाविद्यालय

1	कालिंदी महाविद्यालय, स्वाती एजुकेशन, सोसायटी, लालपुर, रायपुर (छ.ग.)
2	कांतिदर्शन शैक्षणिक एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण संस्थान कोसानगर, सुपेला भिलाई जिला-दुर्ग (छ.ग.)
3	श्री विरेन्द्र दीपक शिक्षा महाविद्यालय, प्लाट नं.-724/1, स्ट्रीट नं.-1, ग्राम+पोस्ट-जामगाँव, जिला-गरियाबंद (छ.ग.)
4	विकास शिक्षा महाविद्यालय, सी-191, देवपुरी, फुडहर मार्ग, रायपुर (छ.ग.)
5	सेंट्रल कालेज आफ एजुकेशन, प्लाट नं.-1131/3, रिंग रोड नं.-3, ग्राम-तुलसी, रायपुर
6	श्याम बालाजी महाविद्यालय, महासमुंद
7	उदय कालेज, प्लाट नं. 108/1, 108/2, नेरा, एसीसी बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई, दुर्ग-490024, (छ.ग.)
8	सांदिपनी एकेडमी, अछोटी, प्लाट नं. 44, तह-धमधा, मुरमुदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)
9	रामकृष्ण इंस्टीट्यूट आफ एजुकेशन, 94, सुंदर नगर, रायपुर (छ.ग.)
10	अपोलो कॉलेज, शास. वेटनरी कालेज के सामने, अंजोरा, दुर्ग
11	खालसा एजुकेशन सोसायटी, जी.ए.डी. कालोनी, दुर्ग जिला-दुर्ग (छ.ग.)
12	दिशा कालेज आफ साइंस एंड कामर्स, प्लाट नं.-788/1/2, 792/3, दिशा पार्क रामनगर, कोटा रोड, रायपुर (छ.ग.)
13	रूगटा इंस्टीट्यूट आफ साइंस एंड टेक्नालॉजी, भिलाई, कोहका रोड, कुरुद, भिलाई, जिला-रायपुर
14	श्री राम शिक्षा महाविद्यालय, दिग्विजय स्टेडियम कैम्पस, राजनांदगांव (छ.ग.)
15	डी.ए.व्ही. मॉडल कालेज, धमधा रोड, दुर्ग, जिला-दुर्ग
16	छत्तीसगढ़ कल्याण शिक्षा महाविद्यालय, नंदिनी रोड, अहेरी, दुर्ग जिला-दुर्ग (छ.ग.)
17	जगद्गुरु शंकराचार्य, कॉलेज आफ एजुकेशन भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)
18	विवेकानंद शिक्षा संस्थान, रामकृष्ण परमहंस नगर, कोटा, रायपुर (छ.ग.)
19	श्री रावतपुरा सरकार कालेज ऑफ एजुकेशन, प्लाट नं.-581, ग्राम-पचेडा तह-अभनपुर, जिला-रायपुर
20	श्री रावतपुरा सरकार कालेज ऑफ एजुकेशन, प्लाट नं.-129, ग्राम-धनेली, पो.-माना कैम्प, रायपुर
21	श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, पचेडा, अभनपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)
22	रविशंकर ग्लोबल एजुकेशन कॉलेज, ग्राम- धनेली, माना, रायपुर
23	श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, कुम्हारी, जिला-दुर्ग (छ.ग.)
24	प्रिज्म स्कूल ऑफ एजुकेशन, प्लाट नं.-207, 2011, स्ट्रीट मेन रोड, पो.-उतई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 491107
25	आर्यावर्त शिक्षा महाविद्यालय, रूआंबांधा, भिलाई, जिला-दुर्ग

अशासकीय बी.एड. एवं अन्य विषय संचालित महाविद्यालय

1	नेताजी सुभाष महाविद्यालय, ग्राम-बेलभाटा, व्हाया-अभनपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)
2	छत्तीसगढ़ वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय सेक्टर-6, भिलाई भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)
3	महात्मा गाँधी महाविद्यालय स्टेशन रोड, रायपुर (छ.ग.)
4	मनसा कॉलेज आफ फिजिकल एजुकेशन, कोहका रोड कुरुद भिलाई जिला-दुर्ग (छ.ग.)
5	दिशा कालेज, रामनगर, कोटा रोड, रायपुर (छ.ग.)
6	महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज, श्री रामनाथ भिमसेन मार्ग, समता कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.)
7	दुर्गा महाविद्यालय, मौदहापारा, रायपुर (छ.ग.)
8	कै.डी. रूगटा कालेज आफ साइंस एंड टेक्नालॉजी, वीरसावरकर नगर, अटारी, रायपुर (छ.ग.)
9	जी.डी. रूगटा कॉलेज आफ साइंस एंड टेक्नालॉजी, कोहका, कुरुद रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)
10	कमलाकांत शुक्ल इंस्टीट्यूट, प्लॉट नं. 2661/24, देवरी, भाटापारा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
11	कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भिलाई नगर (छ.ग.)
12	पं. हरिशंकर शुक्ल स्मृति महाविद्यालय, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)
13	ग्रेसियस कॉलेज आफ एजुकेशन, बेलभाटा, अभनपुर, रायपुर (छ.ग.)
14	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, रिसाली, भिलाई जिला-दुर्ग (छ.ग.)
15	सेंट थॉमस महाविद्यालय, भिलाई (छ.ग.)
16	शिवा कॉलेज, मैत्री विहार राधिका नगर, सुपेला, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)
17	भारती कालेज (बी.आई.आई.टी.) महाविद्यालय, पुलगांव चौक, दुर्ग (छ.ग.)
18	शैल देवी महाविद्यालय, प्लॉट नं. 763, स्ट्रीट नं. 25/35, ग्राम-अण्डा, जिला-दुर्ग
19	एम.जे. कॉलेज आफ इफ. टेक्नालॉजी, भिलाई जिला-दुर्ग
20	स्वामी श्री स्वरूपानन्द सरस्वती महाविद्यालय, आमदी नगर, हुडको भिलाई जि.-दुर्ग
21	बी.एम. कालेज, दुर्ग, कोलिहापुरी, पुलगांव, दुर्ग जिला-दुर्ग
22	श्री शंकराचार्य महाविद्यालय सेक्टर-6, भिलाई नगर जिला-दुर्ग

अशासकीय महाविद्यालय

1	सेंट्रल कॉलेज आफ इंफर्मेसन टेक्नालॉजी, फाफाडीह, रायपुर (छ.ग.)
2	आदर्श कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, नई गंज मंडी, रायपुर (छ.ग.)
3	इंस्टीट्यूट आफ नेशनल एंड फारेन लैंग्वेजेस, भिलाई (अथर्व आई.टी., दुर्ग), जिला-दुर्ग (छ.ग.)
4	काम्पटेक महाविद्यालय, सोरिद नगर, धमतरी (छ.ग.)
5	विध्यवासिनि महाविद्यालय सनौद-बोहारा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)
6	कला महाविद्यालय जी - जामगांव, जिला-धमतरी
7	आर.के.एस. महाविद्यालय, तिल्दा-नेवरा, जिला-रायपुर (छ.ग.)
8	मां बहादुर कलारिन कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, गुरुर (बालोद) जिला-बालोद (छ.ग.)
9	सम्राट अशोका कॉलेज आफ इंफर्मेसन टेक्नालॉजी, कवर्धा, जिला-कबीरधाम
10	रामानुज कालेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडिज, पण्डरिया, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)
11	इंडियन कालेज आफ एजुकेशन, स्टेशन रोड, महासमुंद (छ.ग.)
12	अत्तर सिंह महाविद्यालय, मॉडल टाउन-511, भिलाई जिला-दुर्ग (छ.ग.)
13	संत राजा राम सदाणी नागरीक महाविद्यालय, डौंडी लोहारा, जिला-बालोद (छ.ग.)
14	माता कर्मा कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय गुण्डरदेही जिला-बालोद (छ.ग.)
15	कल्याण विधि महाविद्यालय, भिलाई नगर (छ.ग.)
16	विवेकानंद महाविद्यालय, भानसोज, व्हाया-मंदिर हसीद, जिला-रायपुर (छ.ग.)
17	शिक्षा स्नातक महाविद्यालय मांडर, रायपुर जिला-रायपुर (छ.ग.)
18	एलायंस इंस्टी. आफ कामर्स एंड, मैनेजमेंट, जैन मिलन, जैन मंदिर के बाजू सेक्टर-6, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

19	प. के.एल.एस. विधि महाविद्यालय राजनांदगांव (छ.ग.)
20	ओम श्री साई नाथ विद्यालय परसतराई (धरसीवा), जिला-रायपुर (छ.ग.)
21	महत लक्ष्मी नाराण दास महा, रायपुर (छ.ग.)
22	सांत्वना मनोपचार एवं अनुसंधान संस्थान पी.जी. इंस्टिट्यूट आफ बिहेवियरले एंड मेडिकल साइंसेस रायपुर (छ.ग.)
23	विवेकानंद महाविद्यालय, मौदहापारा, रायपुर (छ.ग.)
24	साई महाविद्यालय, स्ट्रीट-69, सेक्टर-6, भिलाई जिला-दुर्ग
25	श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ग्राम- पचेडा जिला- रायपुर
26	बेलेराम महाविद्यालय, भिलाई नगर जिला-दुर्ग (छ.ग.)
27	प्लेटिनम कालेज आफ प्रोफेशनल स्टडिज, माना रायपुर (छ.ग.)


निर्णय : (1) अशासकीय बी.एड. महाविद्यालय के सरल क्रमांक 03, 09, 14, 19 एवं 22 में उल्लेखित महाविद्यालयों में परिनियम 28 की अंतर्गत शिक्षकों की नियुक्ति एवं पदभार ग्रहण करने के पश्चात् सत्र 2015-16 की वार्षिक अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने की सशर्त अनुशंसा की गई।

(2) शेष उपरोक्त महाविद्यालयों को सत्र 2015-16 के लिये वार्षिक अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है।

अध्यक्ष के अनुमति से अन्य निर्णय

1. दिशा कालेज, रामनगर, कोटा रोड, रायपुर को उनके पत्र क्रमांक 168/U-2-2/Affil. दिनांक 22.07.2015 के अनुसार विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 08.12.2014 के निर्णय क्र. 2 की कंडिका 9(1) को निरस्त करते हुए शासन द्वारा पूर्व में स्वीकृत बी.काम. 120 सीट, एवं बी.काम. कम्प्यूटर एप्लीकेशन 100 सीट पूर्ववत् किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यवाही सम्पन्न हुई।


कुलपति
अध्यक्ष


कुलसचिव
सचिव

पृ. क्र. 4239 / अका. / वि.प.स्थायी समिति / 2015
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक: 29 /07/2015

1. समस्त संकायाध्यक्षों को,
2. उ.कु.स. गोपनीय/परीक्षा,
3. वित्त नियंत्रक/अंकेक्षण,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित।


उप कुलसचिव (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्र. 4456 / अका. / वि.प.स्थायी समिति / 2015

रायपुर, दिनांक: 13/08/2015

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक गुरुवार, दिनांक 13.08.2015 अपरान्ह 04.00 बजे कुलपति कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे -

1.	प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	--	अध्यक्ष
2.	डॉ. स्वर्णलता सराफ	--	सदस्य
3.	डॉ. एम.डब्ल्यू.वाय. खान	--	सदस्य
4.	डॉ. सी.डी. अगासे	--	सदस्य
5.	डॉ. ए.के. श्रीवास्तव	--	सदस्य
6.	डॉ. ओ.पी. चन्द्राकर	--	सदस्य
7.	डॉ. अब्दुल अलीम खान	--	सदस्य
8.	डॉ. अमरकांत पाण्डेय	--	सदस्य
9.	श्री के.के. चंद्राकर, कुलसचिव	--	सचिव

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

- विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 28.07.2015 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।
निर्णय : विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 28.07.2015 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।
- विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 28.07.2015 का पालन प्रतिवेदन का अनुमोदन करना।
निर्णय : विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 28.07.2015 का पालन प्रतिवेदन का सूचना ग्रहण किया गया।
- निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र संख्या एवं सत्रानुसार अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है -

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
1.	महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक, रायपुर	M.A. English Prev. PGDCA Seat Increment	25 20	2015-16	निरीक्षण तिथि :- 10.08.2015 दिनांक 10.08.2015 को महंत लक्ष्मीनारायण महा का निरीक्षण किया और पाया : 1. महाविद्यालय में 25 कक्षाएँ एवं 2 Hall है। अधोसंरचना पर्याप्त है। 2. कम्प्यूटर प्रयोगशाला में 9 और कम्प्यूटरों की आवश्यकता है।	निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई। संबंधित महाविद्यालय समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे। परिनियम 28 के तहत आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति तीन माह में पूर्ण करें।
शासन का आदेश - छ.ग.शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्र. 1933/1307/2013/38-2 दिनांक 31.05.2013						

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय												
					<p>3. समुचित संख्या में लाइसेंस साफ्टवेयर क्रय करने की आवश्यकता है।</p> <p>4. पुस्तकालय में पाठ्यक्रम के अनुसार समुचित संख्या में Standard पुस्तकों का क्रय करने की आवश्यकता है।</p> <p>5. परिनियम 28 में कम्प्यूटर और अंग्रेजी के 2-2 शिक्षकों की नियुक्ति करने की आवश्यकता है।</p>													
2.	जी.डी. रूंगटा कालेज आफ साइंस एंड टेक्नालॉजी भिलाई, जिला-दुर्ग	<table border="1"> <tr> <td>New Course M.S.W.</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Seat Extension BCA</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>PGDCA</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>B.Sc. Biotech.</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>B.Com. Computer Application</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>B.B.A.</td> <td>20</td> </tr> </table>	New Course M.S.W.	20	Seat Extension BCA	30	PGDCA	30	B.Sc. Biotech.	30	B.Com. Computer Application	30	B.B.A.	20	20	2015-16	<p>निरीक्षणी तिथि 13.08.2015</p> <p>विश्वविद्यालय के आदेश क्र. 4411/अका./2015 दिनांक 10.08.2015 के परिप्रेक्ष्य के तहत जी.डी. रूंगटा कॉलेज आफ साइंस एंड टेक्ना. भिलाई दुर्ग में नवीन विषय MSW (20 सीट) सीट वृद्धि BBA (30 सीट), PGDCA (30 सीट), B.Sc. Biotech. (30 सीट), B.Com. Computer Appli. (30 सीट) एवं सम्बद्धता हेतु आज दिनांक 13.08.2015 को निरीक्षण किया गया। निम्न तथ्य पाये गये।</p> <p>1. महाविद्यालय का अपना स्वयं का भवन है।</p> <p>2. महाविद्यालय में परिनियम 28 के तहत प्राचार्य है।</p> <p>3. महाविद्यालय में विभिन्न विषयों के परिनियम 28 के तहत 14 सहा. प्राध्यापक नियुक्त हैं, नये विषय के MSW & Computer के लिये 28 परिनियम में शिक्षक की नियुक्ति करने की आवश्यकता है।</p> <p>4. ग्रन्थागार में ग्रन्थापाल है। सभी विषयों की 7844 पुस्तकें हैं। महावि. में विषय एवं कक्षावार छात्र अनुपात में पुस्तकें क्रय किये जाने की आवश्यकता है।</p>	<p>निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई।</p> <p>संबंधित महाविद्यालय समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे। परिनियम 28 के तहत आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति तीन माह में पूर्ण करें।</p>
New Course M.S.W.	20																	
Seat Extension BCA	30																	
PGDCA	30																	
B.Sc. Biotech.	30																	
B.Com. Computer Application	30																	
B.B.A.	20																	
<p>शासन का आदेश - छ.ग.शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्र. 1384/2012/38-2 दिनांक निरंक एवं एफ 17-11/2015 दिनांक 30.01.2015</p>																		

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
					5. कम्प्यूटर लेब है। लेब में 60 कम्प्यूटर है। Internet की सुविधा है। लायसेंस साफ्टवेयर है। बायोटेक लेब है जिसमें पर्याप्त उपकरण है।	
					6. महाविद्यालय में अधोसंरचना, फर्नीचर, केन्टीन, प्रसाधन एवं खेल के मैदान उपलब्ध है।	

04. शासकीय महाविद्यालय छुरिया में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय, शासकीय महाविद्यालय, घुमका में विज्ञान संकाय तथा शासकीय कन्या महाविद्यालय बलौदाबाजार में गृहविज्ञान संकाय प्रारंभ करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : आयुक्त उच्च शिक्षा इन्द्रावती भवन, नया रायपुर का पत्र क्र. 198/69/आउशि/योजना/15 दिनांक 31.07.2015 के द्वारा (1) शासकीय रानी सुर्यमुखी देवी महाविद्यालय छुरिया में विज्ञान संकाय (बायो.-प्राणीशास्त्र, रसायनशास्त्र, वनस्पति शास्त्र एवं गणित समूह - गणित, भौतिकी, रसायन 60-60 सीट) एवं वाणिज्य संकाय (60 सीट), (2) शासकीय वीरांगना अवंतीबाई लोधी महाविद्यालय, घुमका में विज्ञान संकाय (बायो.-प्राणीशास्त्र, रसायनशास्त्र, वनस्पति शास्त्र एवं गणित समूह - गणित, भौतिकी, रसायन 60-60 सीट) तथा (3) शासकीय मिनीमाता कन्या महाविद्यालय बलौदाबाजार में गृहविज्ञान संकाय (60 सीट) नवीन विषय प्रारंभ करने के संबंध में सम्बद्धता संबंधी कार्यवाही किया जावे।

05. सत्र 2015-16 की वार्षिक संबद्धता आदेश प्रदान करने हेतु महाविद्यालयों की सूची :-

शासकीय महाविद्यालय

1	शासकीय कोदूराम दलित महाविद्यालय, नवागढ़, जिला-बेमेतरा
2	शासकीय महाविद्यालय, अरमरीकला, जिला-बालोद
3	शासकीय के.एल. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, बागबाहरा, जिला-महासमुद
4	शासकीय नवीन महाविद्यालय, गुरुर जिला-बालोद
5	शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा, जिला-बालोद
6	शासकीय शहीद कौशल यादव, महाविद्यालय, गुण्डरदेही, जिला-बालोद
7	शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त महाविद्यालय, बालोद, जिला-बालोद
8	शासकीय पं. श्यामा चरण शुक्ल महाविद्यालय, धरसीवां, रायपुर
9	शासकीय काव्योपाध्याय हीरालाल महाविद्यालय, अभनपुर जिला-रायपुर
10	शासकीय शहीद वीर नारायण सिंह महाविद्यालय, बिलाईगढ़, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा

अशासकीय महाविद्यालय

1	गुरुकुल महिला महाविद्यालय, कालीबाड़ी, रायपुर
---	--

निर्णय : सत्र 2015-16 के लिये वार्षिक अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय

01. भारत के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न स्वर्गीय डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की स्मृति में प्रतिवर्ष विश्वविद्यालय में विज्ञान एवं तकनीकी विषय पर व्याख्यान आयोजित किये जाने की अनुशंसा की गई।
02. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को एसोसिएशन ऑफ कॉमन वेल्थ यूनिवर्सिटी की सदस्यता लेने के लिए कार्यवाही हेतु अनुशंसा की गई।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यवाही सम्पन्न हुई।


कुलपति
अध्यक्ष


कुलसचिव
सचिव

पृ. क्र. 4457 / अका. / वि.प.स्थायी समिति / 2015
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक: 13 /08/2015

1. समस्त संकायाध्यक्षों को,
2. उ.कृ.स. गोपनीय / परीक्षा,
3. वित्त नियंत्रक / अंकेक्षण,
4. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित।


उप कुलसचिव (अका.)

Registered User



New User



Search Minglebox

Follow us on

Home Arts Arts Colleges Top Arts Colleges Arts Course Guide Arts Career Guide College Proc News & Updates QnA

M.A. in Rural Development Courses in India

M.A.(Rural Development) - Stands for Master of Arts in Rural Development. Typically, a M.A. (Rural Development) is a two year course, minimum eligibility for which is graduation in any discipline. Rural development is associated with initiatives and actions taken for improving the standard of living in remote villages and non-urban areas. Subjects studied under this degree are entrepreneurship and rural development, research methods in rural development, rural development planning & management and rural development programs.

Basic Eligibility

For admission into master's degree one must have completed graduation in relevant stream. Usually, the duration of the course is two years.

Institutes Offering M.A. - Rural Development

- K. J. Somaiya Institute of Arts & Commerce - Post Graduate Diploma in Education and Rural Studies
- Amamilla University - Master of Arts in Rural Management
- Emankya University - Master of Arts in Rural Development
- Indira Gandhi National Open University - Master of Arts in Rural Development
- Indira Gandhi National Open University - Master of Arts in Rural Development
- Indira Gandhi National Open University - Master of Arts in Rural Development
- Indira Gandhi National Open University - Master of Arts in Rural Development
- Institute of Management and Development Action, Indore - Master Of Arts in Rural Development
- Jawahar Education University (JIEU) - Master of Rural Development & Management
- Madhya Pradesh Vishwavidyalaya - Master of Arts in Rural Development
- Madhya Pradesh University - Master Of Arts In Rural Development
- Rajawade University - Master of Arts in Rural Development
- School of Continuing Education-Indira Gandhi National Open University - Master of Arts in Rural Development
- Sri Krishnadevaraya University - Master Of Arts in Rural Development
- University of Kalyan - Master of Arts in Rural Development
- Uttarakhand Open University - M.A. Gandhian Peace & Rural Development Studies

Available Courses

UG

- B.A. - Defence and Strategic Studies
- B.A. - Human Resource Development
- B.A. - Human Resource Management
- Certificate - Human Rights
- B.A. - Marketing
- B.A. - Other Arts Subjects
- B.A. - Physical Education
- Bachelor's Degree - Theology
- B.A. - Travel and Tourism Management
- B.A. Honours - Vedic Astrology
- B.A. - Vocational

PG

- M.A. - Criminology & Police Administration
- PGD - Heritage Management
- PGD - Arts
- PGD - Arts (Visual & Material Culture)
- M.A. - Environmental Studies
- PGD - Guidance & Counselling
- M.Phil. - Other Arts Courses
- Ph.D. - Other Arts Subject
- M.A. - Other Arts Subjects
- PGD - Other Post Graduate Diploma courses
- M.A. - Rural Development

Others

- Certificate - Guidance & Counseling
- Certificate - Other Certificate Courses
- Diploma - Other Diploma
- Diploma - Population Studies (DPS)



Related Question and Answer

Have A Question?
Click Here To Get Answers

Dr. Xavier's College, Mumbai is my dream college. so please keep me updated with the news...

By jms (1591), On Dr. Xavier's College, Mumbai, 1 day ago, Be the first to answer

12

For details login to website **IE**
<http://www.persmin.nic.in/pesb> 21/5/10



Tata Institute of Social Sciences
Deemed to be University since 1964;
U/s-3 of the UGC Act, 1956
School of Rural Development - Tuljapur Campus

Applications are invited for admission to MA Social Work in Rural Development.

Sale of Application Forms in Mumbai & Tuljapur commences on 17th May 2010. Last date for receipt of application forms: 14th June 2010. Entrance Test will be held at Tuljapur Campus of TISS on 27th June 2010.

Pre-Entrance coaching for SC/ST/OBC (Non Creamy Layer) and Minority candidates at Tuljapur on 25th - 26th June, 2010.
PunjabColleges.com

For details and application forms visit: www.tiss.edu
Email queries: Info.srd@tiss.edu

Address for communication:
The Deputy Registrar

Tata Institute of Social Sciences, School of Rural Development,
Tuljapur Campus, Dist: Osmanabad, Maharashtra - 413601, India.

Phone: 02471 - 242061, 242560. Fax: 02471 - 242061

Cell: 09223394671, 09223394672, 09223394677, 09223546829.

Mumbai, May 19, 2010

Registrar



303/1

WALK-IN-INTERVIEW

**HARYANA INSTITUTE OF
RURAL DEVELOPMENT**

NILOKHERI (KARNAL)—132117

REQUIRES

One (1) Research Associate for a period of four(4) months and
threen (15) Research Investigator for a period of two (2) months
for conducting an PunjabColleges.com [nai.BharatAbhiyan
inHaryana](http://nai.BharatAbhiyan.in). For details regarding qualifications, experiences etc.
and application form, please visit institute's website
www.hirdnilokheri.com The candidates with the proof of
educational qualifications and experiences etc. and filled
application form may appear for walk-in-interview on 13.06.2013
at 11.00 a.m. in the office of the Director.



Sd/-
Director

Refugee Affected and Hosting Areas (RAHA) Project

'As a federal enterprise, the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH supports the German Government in achieving its objectives in the field of international cooperation for sustainable development.'

On request of the German Federal Foreign Office, GIZ is supporting the Government of Pakistan with the implementation of the Refugee Affected and Hosting Areas Programme (RAHA), which is seeking a candidate for the following position for its office in Quetta;

Job Title Rural Development Expert (Reference No. RAHA 2014/010)

Qualification and Experience

- At least 5 years of profound professional experience with rural development, sustainable water management incl. monitoring & evaluation;
- Ability to work in challenging and demanding environments
- Excellent English communication and writing skills, proven report-writing competence and experience
- Experience in project management, monitoring and planning of projects
- Master degree in Rural Development, Sustainable Water Management or other relevant field

Applications

Interested candidates can request for detailed job description through mail from giz-pakistan-hr@giz.de while clearly mentioning the Job Title and Reference No. as subject line till 29th December 2014.

Application clearly mentioning the job title and reference no. on the envelope with a covering letter and CV to be sent latest by **1st January 2015 at P.O. Box 2993, Islamabad**. Only shortlisted candidates will be contacted. Female candidates will be highly appreciated to apply for the position. **Electronic submission is not accepted.**

विद्यापरिषद के रखे जाने हेतु प्रस्ताव

विषय :- विश्वविद्यालय के सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली में छात्रों को उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति उपलब्ध कराने बाबत ।

विश्वविद्यालय के सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली वर्तमान में पुनर्गणना की सुविधा है । पुनर्गणना के उपरांत छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति प्राप्त कर सकता है । इस सुविधा को निम्नानुसार संशोधित किया जाना प्रस्तावित है ।

छात्र परीक्षा परिणाम के पश्चात अपनी उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति प्राप्त करेगा उसके उपरांत ही वह पुनर्गणना हेतु आवेदन कर सकता है ।

विद्यापरिषद के समक्ष यह प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है ।



**Pt. Ravishankar Shukla University,
Raipur (C.G.)**

No. ~~1790~~ / Estb./Gen.Adm./2015

Raipur, Date 30/5 /2015

Advertisement

Applications are invited from eligible candidates against the following posts in the prescribed format available in the website: www.prsu.ac.in or [HTTP://Recruitment.cbsraipur.ac.in](http://Recruitment.cbsraipur.ac.in).

The last date of submission of online application form is 20-07-2015. However, the last date of receipt of online printed application and offline applications along with required documents is 30-07-2015 by registered/Speed post.

This advertisement will stand subject to the final order/decision of Honourable High Court of Chhattisgarh Under the writ petition no. (C) 591/2012, 592/2012, 593/2012 & 594/2012 on roster point.

S.N.	Name of SoS/Institute	Name, No. of Post & Category		
		Professor	Associate Professor	Assistant Professor
1	Geography	1 (UR)	1 (OBC CF)	1 ST (BL)
2	Sociology	1 ST (BL)	1 ST (BL)	-
3	History	1 (UR)	1 SC (CF)	-
4	Ancient Indian History Cultural & Archeology	1 (UR)	-	-
5	Computer Science	1 (UR)	1 ST (BL)	1 ST (BL), 1 (UR)
6	Literature & Language	-	1 (STBL) 1 (SC CF)	1 SC (CF) English
7	Economics	-	1 ST (BL)	-
8	Physics & Astrophysics	-	1 (STBL), 1 (ST CF)	1 (ST CF), 1 (SCBL)
9	Chemistry	-	1 (OBC CF)	1 (ST CF)
10	Philosophy & Yoga	1 (UR)	1 (ST BL)	1 (ST BL)
11	Electronics & Photonics	-	1 (ST BL)	1 (ST BL), 1 (SC CF), 1(UR)
12	(Innovative Programme) M-Tech. in Optoelectronics & Laser Technology	-	1 (UR)	1 (UR)
13	Bio-Science	-	1 ST (BL)	1 (UR), 1(ST)
14	MBA	-	1 ST (BL)	-
15	Bio-Technology	-	1 ST (BL)	-
16	Mathematics	-	1 ST (BL)	1 (ST BL), 1 (SC CF)
17	Pharmacy	-	1 (ST BL), 1 (SC CF)	-

18	Anthropology	-	1 (ST BL), 1 (SC CF)	1 (UR)
19	Statistics	1 (UR)	-	1 ST (BL)
20	Library Information Science	-	1 (UR)	-
21	Law	-	-	1 (ST BL), 1 (OBC CF)
22	Professor-Director, Human Resource Development Centre	1 (UR)	-	-
23	Regional Studies	1 (UR)	-	-
24	Geology	-	-	1 (STBL)
25	Centre for Basic Science	Director 1 (UR)	-	Physics 01 UR, Chemistry 01 UR, Mathematics 01 UR Botany 01 UR, Zoology 01 UR, Hindi/Foundation Course 01 UR, English 01 UR, Computer Science 01UR

GENERAL CONDITIONS:-

1. **Qualifications:-** As per Norms of UGC.
2. **Pay Band + AGP :-**

Professor/Director	37400 – 67000 + 10000/-
Associate Professor	37400 – 67000 + 9000/-
Assistant Professor	15600 – 39100 + 6000/-

Note:- As per C.G. Government orders new appointees are not entitled for the pension.

3. **How to apply:-** Candidate have to apply online through the website www.prsu.ac.in or [HTTP://Recruitment.cbsraipur.ac.in](http://Recruitment.cbsraipur.ac.in) and along with this online submission a printed application from as one set of hard copy (duly filled in prescribed format) has to be sent to Registrar, Pt. Ravishankar Shukla University by registered /Speed post. The details of qualifications are available in university website: www.prsu.ac.in
4. **Payment of application fee:-** Application fee of Rs. 1000/- and for ST/SC Category Rs. 500/- plus portal and bank transaction charges through payment gateway system.
Note:- Fee for the Application will not be accepted by money order or postal order & Cheque.
5. Application fee once paid shall not be refunded under any circumstances.
6. The University will not be responsible for any postal delay.
7. The candidate's application along with relevant document must reach to the Registrar's office on or before 30-07-2015.
8. Application received after said date will not be considered .
9. T.A. will be admissible for attending the interview in the case of SC/ST candidate only.
10. The number of posts to be filled-up may vary.
11. The University reserves the right to fill-up the posts and/or to call only selected candidates for interviews.

12. The University reserves the right not to fill-up any of the vacancies advertised if the circumstances so warrant.
13. Candidates who have applied in response to earlier advertisement are required to APPLY AGAIN.
14. Candidates belonging to ST/SC/OBC Category are required to submit valid caste Certificate with their application otherwise their application will be rejected.
15. Employed candidates will have to apply through proper channel.

Note:-

1. The Candidate of all categories may apply for UR post.
2. Abbreviation:- ST - Scheduled Tribe, SC - Scheduled Caste, OBC - Other Backward Class, UR - Un-Reserved, BL - Backlog Post, CF- Carry Forward.
3. Women & disabled persons will also be given reservation as per reservation rules of C.G. Govt.
4. Candidates belonging to SC, ST & OBC of other states will be treated as Unreserved.

By order



(K.K. Chandrakar)

Registrar

Rz.

Endt.No. 1791 /Estb./Gen.Adm./2015

Raipur, Date 30/5 /2015

Copy to :-

1. The Editor, University News, Association of Indian Universities, AIU House, 16 Comrade Indrajit Gupta Marg (Kotla Marg), New Delhi 110002.
2. The Times of India.
3. The Editor with request to publish the above advertisement in the next issue of their news papers (one insertion only/minimum size) and send their bills in duplicate with a published news paper.
4. Copy to the Registrar of all universities in India with the request to give due publicity to this advertisement in their university without incurring any expenditure on our behalf.
5. Concerning Heads of School of Studies, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur.
6. Account/Academic/Development/Grant Cell, Section of Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur.
7. Secretary to Kulpati P.A. to Registrar, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur.


Dy. Registrar (Adm.)

Rz.



Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur (C.G.)

No. 2853/Estb./Gen.Adm./2015

Raipur, Date 10/08/2015

Advertisement

Applications are invited from eligible candidates against the following posts in the prescribed format available in the website: www.prsu.ac.in or [HTTP://Recruitment.cbsraipur.ac.in](http://Recruitment.cbsraipur.ac.in).

The last date of submission of online application form is 26-09-2015. However, the last date of receipt of online printed application and offline applications along with required documents is 30-09-2015 by registered/Speed post.

This advertisement will stand subject to the final order/decision of Honourable High Court of Chhattisgarh Under the writ petition no. (C) 591/2012, 592/2012, 593/2012 & 594/2012 on roster point.

S.N.	Name of Posts & SoS/Institute	No. of Post	Category	Pay Scale
1	Professor - Hindi	01	UR	37400-67000+AGP10000
2	Associate Professor - Hindi	02	01 UR, 01 ST	37400-67000+AGP9000
3	Assistant Professor - Hindi	04	02 UR, 01 ST, 01 OBC	15600-39100+AGP6000
4	Director, College Development Council	01	UR	37400-67000+AGP10000
5	Dean, Student Welfare	01	UR	37400-67000+AGP9000
6	Director, Physical Education	01	UR	37400-67000+AGP10000
7	Director/Controllor, Computer Center	01	UR	37400-67000+AGP10000
8	Senior System Analyst/System Programmer	01	UR	37400-67000+AGP9000
9	Account Officer	01	UR	15600-39100+Gradepay6600
10	System Programmer/System Analyst	02	01UR, 01 ST	15600-39100+Gradepay6000
11	Public Relation Officer	01	UR	15600-39100+Gradepay6600
12	Training Cum Placement Officer	01	UR	15600-39100+Gradepay5400

Note:- The Post of Director, College Development Council and Dean, Student Welfare given in S.No. 4 & 5 above shall be appointed for the term of three years. A retired Govt. servant if appointed on any of these two posts shall get the last pay minus pension. Candidate on deputation may also be considered for appointment on these two posts.

GENERAL CONDITIONS:-

1. As per C.G. Government orders new appointees are not entitled for the pension.
2. **How to apply:-** Candidate have to apply online through the website: www.prsu.ac.in or [HTTP://Recruitment.cbsraipur.ac.in](http://Recruitment.cbsraipur.ac.in) and along with this online submission a printed application from as one set of hard copy (duly filled in prescribed format) has to be sent to Registrar, Pt. Ravishankar Shukla University by registered /Speed post. The details of qualifications are available in university website: www.prsu.ac.in

3. Payment of application fee:- Application fee of Rs. 1000/- and for ST/SC Category Rs. 500/- plus portal and bank transaction charges through payment gateway system.
Note:- Fee for the Application will not be accepted by money order or postal order & Cheque.
4. Application fee once paid shall not be refunded under any circumstances.
5. The University will not be responsible for any postal delay.
6. The candidate's application along with relevant document must reach to the Registrar's office on or before 30-09-2015.
7. Application received after said date will not be considered .
8. T.A. will be admissible for attending the interview in the case of SC/ST candidate only.
9. The number of posts to be filled-up may vary.
10. The University reserves the right to fill-up the posts and/or to call only selected candidates for interviews.
11. The University reserves the right not to fill-up any of the vacancies advertised if the circumstances so warrant.
12. Candidates who have applied in response to earlier advertisement are required to APPLY AGAIN.
13. Candidates belonging to ST/SC/OBC Category are required to submit valid caste Certificate with their application otherwise their application will be rejected.
14. Employed candidates will have to apply through proper channel.

Note:-

1. The Candidate of all categories may apply for UR post.
2. Candidates belonging to SC, ST & OBC of other states will be treated as Unreserved.
3. Abbreviation:- ST- Scheduled Tribe, SC- Scheduled Caste, OBC- Other Backward Class, UR- Un-Reserved, BL- Backlog Post, CF- Carry Forward.

By order


(K.K. Chandrakar)
Registrar

Raipur, Date 10/08/2015

Endt.No. 2854/Estb./Gen.Adm./2015

Copy to :-

1. The Editor,
2. Copy to the Registrar of all universities in India with the request to give due publicity to this advertisement in their university without incurring any expenditure on our behalf.
3. Concerning Section/Head, School of Studies, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur.
4. Account/Academic/Development/Grant Cell, Section of Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur.
5. Secretary to Kulapati/P.A. to Registrar, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur.


Dy. Registrar (Adm.)

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 10 सन् 2011)

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2011

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बासठवें धर्म में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- | | | |
|------------------------------------|----|--|
| संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ | 1. | (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहलाएगा.
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.
(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा. |
| अधिनियम का संशोधन. | 2. | छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973), (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) में जहां कहीं भी शब्द "उपाचार्य" तथा "व्याख्याता" आया हो, उनके स्थान पर क्रमशः शब्द "सह-आचार्य" तथा "सहायक आचार्य" प्रतिस्थापित किया जावे. |
| धारा 49 का संशोधन. | 3. | भूत अधिनियम की धारा 49 को उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात् :-
(2) चयन समिति के सदस्य निम्नानुसार होंगे :
(एक) कुलपति चयन समिति के अध्यक्ष होंगे;
(दो) विश्वविद्यालय के विद्या-परिषद् द्वारा अनुमोदित पैनल में से कुलपति द्वारा नाम निर्देशित संबंधित विषय के तीन विशेषज्ञ;
(तीन) संबंधित संकाय के संकायाध्यक्ष, जहां भी लागू हो;
(चार) विभाग के अध्यक्ष, यदि वह विभाग में आचार्य का पद धारण करता हो;
(पांच) कुलाधिपति द्वारा नाम निर्देशित एक शिक्षाविद्;
(छः) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/अल्पसंख्यकों/भिन्न रूप में योग्य वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक शिक्षाविद् जिसे कुलपति या फार्थकरी कुलाधिपति द्वारा नाम निर्देशित किया जायेगा, यदि चयन समिति या उपरोक्त कोई भी सदस्य इन वर्गों से संबंधित न हो. |
| | 4. | भूत धारा 49 को धारा 49 की उपधारा (3) में जो शब्द "चयन समिति" के स्थान पर "चार सदस्य जिसमें दो अध्यक्ष विशेषज्ञ शामिल हों." प्रतिस्थापित किया जावे. |

CHHATTISGARH ACT
(No. 10 of 2011)

THE CHHATTISGARH VISHWAVIDYALAYA (AMENDMENT) ACT, 2011

An Act further to amend the Chhattisgarh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 (No. 22 of 1973).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-second year of the Republic of India, as follows :—

- (1) This Act may be called the Chhattisgarh Vishwavidyalaya (Amendment) Act, 2011.
- (2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.
- (3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Show title, extent and commencement.

In the Chhattisgarh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 (No. 22 of 1973), (hereinafter referred to as the Principal Act), for the words "Reader" and "Lecturer", wherever they occur, the words "Associate Professor" and "Assistant Professor" shall be substituted respectively.

Amendment of the Act.

For sub-section (2) of Section 49 of the Principal Act, the following sub-section shall be substituted, namely :—

Amendment of Section 49.

- (2) The members of the committee of selection shall be :
 - (i) The Kulapati shall be Chairman of the Selection Committee;
 - (ii) Three experts in the concerned subject nominated by the Kulapati out of the panel approved by the Academic Council of the University;
 - (iii) Dean of the concerned faculty, wherever applicable.
 - (iv) Head of the Department if he/she holds the post of Professor in the Department;
 - (v) An academician nominated by the Kuladhipati;
 - (vi) An academician representing Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Other Backward Classes/Minorities/Differently-abled categories to be nominated by the Kulapati or acting Kulapati, if any of the above members of the Selection Committee does not belong to that category.

4. In sub-section (3) of Section 49 of the Principal Act, for the words "Three members" the words "Four members including two outside subject experts" shall be substituted.